

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2019—आषाढ़ 21, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2019

क्र. ई-1-270-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री तरूण कुमार पिथौड़े (2009) कलेक्टर, बैतूल.	कलेक्टर, भोपाल
2	श्री तेजस्वी एस. नायक (2009) संचालक, बजट.	कलेक्टर, बैतूल

5967

(2) उपरोक्तानुसार श्री तरुण कुमार पिथौड़े द्वारा कलेक्टर, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. विजय दत्ता, भाप्रसे (2011), आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल तथा कलेक्टर, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल कलेक्टर, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-1-274-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विशेष गढपाले (2008), अवकाश से लौटने पर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल. (इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-262-2019-5-एक, दिनांक 01 जून 2019 द्वारा श्री विशेष गढपाले की कलेक्टर, सतना के पद पर की गई पदस्थापना को निरस्त करते हुए).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री सतेन्द्र सिंह (2009) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	कलेक्टर, सतना	—

(2) उपरोक्त आदेश के अनुक्रमांक 01 पर वर्णित श्री विशेष गढपाले (2008) की प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के पद पर पदस्थापना डॉ. संजय गोयल भाप्रसे (2003) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के विदेश प्रशिक्षण पर प्रस्थान करने की तिथि से प्रभावशील होगी. श्री गढपाले कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से डॉ. गोयल के विदेश प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त होने की तिथि तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के रूप में पदस्थ रहेंगे. उक्त असंवर्गीय पद की समकक्षता उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष रहेगी.

क्र. ई-1-275-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री बाबू सिंह जामौद (2006) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (डीएमआई), भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, दतिया
2	श्री रामप्रताप सिंह जादौन (2010) कलेक्टर, दतिया.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (डीएमआई), भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).

क्र. ई-1-276-2019-5-एक.—श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग की सेवाएं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग को सौंपते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री आलोक कुमार सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन नियमावली) 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(3) उपरोक्त कंडिका-1 के अनुक्रम में श्री आलोक कुमार सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, भाप्रसे (1993) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग एवं वि.क.अ.-सह-आयुक्त, विमानन (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 14 जून 2019

क्र. ई-1-277-2019-5-एक.—श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, भाप्रसे (2003), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-278-2019-5-एक.—श्री राजीव चन्द्र दुबे, भाप्रसे (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-280-2019-5-एक.—श्रीमती हर्षिका सिंह, भाप्रसे (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-796-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री लोकेश कुमार जाटव, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री लोकेश कुमार जाटव की अवकाश अवधि में श्री दिनेश जैन, अपर कलेक्टर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार जाटव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री लोकेश कुमार जाटव द्वारा कलेक्टर, जिला इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दिनेश जैन, कलेक्टर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार जाटव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार जाटव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-825-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएस., तत्कालीन कलेक्टर, जिला भोपाल (वर्तमान में महाप्रबंधक 'कार्मिक' मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल) को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जून 2019 द्वारा दिनांक 7 से 12 जून 2019 तक, छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 से 19 जून 2019 तक, छः दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महाप्रबंधक 'कार्मिक' मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 17 जून 2019

क्र. ई-5-1009-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अध्यात्म विभाग को दिनांक 24 से 29 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अध्यात्म विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते

भोपाल, दिनांक 18 जून 2019

क्र. ई-5-732-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस., आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 19 से 22 जून 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री आकाश त्रिपाठी की अवकाश अवधि में श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे, आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-836-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे, आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ को दिनांक 20 से 26 जून 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एम. के. अग्रवाल की अवकाश अवधि में आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ का प्रभार श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

क्र. ई-1-98-2018-5-एक.—श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे (2004) के द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2016 से जून 2016 तक की अवधि में कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पदस्थ रहने के दौरान सीएम हेल्पलाइन में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठशाला मदरसा ग्राम सिंगोड़ी, जिला कटनी में मध्याह्न भोजन के कार्य हेतु जनपद पंचायत द्वारा श्रीमती रामवती कोड़ी के स्व-सहायता समूह को राशि का भुगतान न किए जाने के कारण लगभग 02 साल का मानदेय नहीं मिलने संबंधी शिकायत को बिना किसी जांच-परीक्षण किए हुए "फोर्स क्लोजर" किए जाने संबंधी गंभीर कथित लापरवाही की गई। उक्त के आलोक में श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे को दिनांक 2 अगस्त 2016 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1958 के नियम-3 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

(2) अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम-3 के अन्तर्गत संशोधित नियम 18 एवं 25 के

प्रावधानों के तहत श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे के निलंबन की जानकारी दिनांक 4 अगस्त 2016 एवं विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 12 अगस्त 2016 को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रेषित किए गए. श्री जांगरे को विभागीय आदेश क्रमांक डी-2/29/2016/6/एक, दिनांक 13 नवम्बर 2016 द्वारा निलंबन से बहाल करते हुए उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय पदस्थ किया गया.

(3) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) द्वारा जारी आदेश क्रमांक डी-2/24/2016/6/एक, दिनांक 9 अप्रैल 2019 द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे (2004), तत्कालीन कलेक्टर, जिला कटनी के सापेक्ष यह प्रकरण उन्हें भविष्य में कार्य सतर्कता एवं सजगता पूर्वक संपादित करने हेतु सचेत करते हुए बिना किसी दण्ड के इसी प्रक्रम पर समाप्त करते हुए श्री जांगरे के निलंबन अवधि का निराकरण इस आदेश जारी होने के पश्चात् पृथक् से किये जाने का निर्णय लिया गया.

(4) सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-6 (कार्मिक) द्वारा जारी आदेश क्रमांक डी-2/29/2016/6/एक, दिनांक 16 मई 2019 द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे (2004) की निलंबन की अवधि का निराकरण करते हुए श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे (2004) तत्कालीन कलेक्टर, कटनी वर्तमान उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन/मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की दिनांक 2 अगस्त 2016 से 13 नवम्बर 2016 तक की निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए, इस अवधि के समस्त वेतन भत्तों आदि का भुगतान श्री जांगरे को उनके निलंबन अवधि में उन्हें प्रदान किए गए निर्वाह भत्तों आदि का समायोजन करते हुए किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

(5) उक्त आदेश के आलोक में प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किए जाने के संबंध में श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, को पूर्व वरिष्ठता (आवंटन वर्ष 2004) अनुसार प्रथम छानबीन समिति की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर 2016 एवं पुनरीक्षित वरिष्ठता (आवंटन वर्ष 2003) के क्रम में रिव्यू बैठक दिनांक 9 मई 2018 में रखा गया बंद लिफाफा खोला गया. उक्त छानबीन समिति की दोनों बैठकों में समिति द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया है.

(6) आवंटन वर्ष 2004 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2017 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है, तथा पुनरीक्षित वरिष्ठता अनुसार आवंटन वर्ष 2003 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे (2003) को उनसे कनिष्ठ भाप्रसे अधिकारी डॉ. श्रीनिवास शर्मा, भाप्रसे (2003) को स्वीकृत प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2016 से भाप्रसे के प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 37400—67000+ग्रेड पे 8700) में काल्पनिक पदोन्नति (National Promotion) प्रदान करता है. प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे को वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति

की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2016 से निर्धारित होंगे, किन्तु काल्पनिक पदोन्नति की तिथि से लेकर वास्तविक तिथि तक की अवधि के वेतन/भत्तों एवं एरियर्स की राशि की पात्रता "कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी.

(7) श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे (2003), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रवर श्रेणी वेतनमान में काल्पनिक पदोन्नति दिए जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-607-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम को दिनांक 23 से 25 जून 2019 के दौरान जोहांसबर्ग (साउथ अफ्रीका) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 12 औद्योगिक इकाइयों के दल सहित भागीदारी में शासकीय रूप से भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 21 से 23 जून 2019 तक, तीन एवं दिनांक 26 जून 2019 को एक दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 जून 2019

क्र. ई-5-1012-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पार्थ जायसवाल, भाप्रसे., (2015) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरसूद जिला खण्डवा को दिनांक 12 से 22 जुलाई 2019 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पार्थ जायसवाल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरसूद जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री पार्थ जायसवाल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पार्थ जायसवाल, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2019

क्र. ई.-5-687-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस., आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 25 जून से 3 जुलाई 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री नीतेश कुमार व्यास की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नीतेश कुमार व्यास द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 11 जून 2019

क्र. ई.-5-927-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रवीण सिंह अध्यक्ष, आयएएस., कलेक्टर, जिला सिवनी को दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री प्रवीण सिंह अध्यक्ष की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती रानी वाटड, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला सिवनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण सिंह अध्यक्ष को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रवीण सिंह अध्यक्ष, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला सिवनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रानी वाटड, राप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अध्यक्ष को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण सिंह अध्यक्ष, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-1090-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सरिता बाला ओम प्रजापति, भाप्रसे., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सरिता बाला ओम प्रजापति, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सरिता बाला ओम प्रजापति, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सरिता बाला ओम प्रजापति, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 13 जून 2019

क्र. ई.-5-931-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजीव रंजन मीना, आयएएस., प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव रंजन मीना, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजीव रंजन मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव रंजन मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-938-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मधुकर अग्नेय, आयएस, अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को समसंख्यक आदेश दिनांक 17 मई 2019 द्वारा दिनांक 27 मई से 1 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छः दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मधुकर अग्नेय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर अग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-940-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजीव शर्मा, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं उप प्रशासक, राजधानी परियोजना, भोपाल को दिनांक 17 से 29 जून 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं उप प्रशासक, राजधानी परियोजना, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजीव शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1046-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गौरव बैनल, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोरा, जिला जबलपुर को दिनांक 17 जून से 4 जुलाई 2019 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गौरव बैनल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोरा, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री गौरव बैनल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गौरव बैनल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1092-आयएस-लीव-5-एक.—श्री दिनेश जैन, आयएस., अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मई 2019 द्वारा दिनांक 1 से 7 जून 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 8 एवं 9 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने के साथ स्वीकृत किया गया है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 18 जून 2019

क्र. ई-5-949-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार वर्मा, आयएस., प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल को दिनांक 20 से 29 जून 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार वर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार वर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 21 जून 2019

क्र. ई-5-976-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर को दिनांक 26 जून से 6 जुलाई 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, आयएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, आयएस., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, आयएस., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1056-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे, उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 13 से 17 मई 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 18, 19 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 22 जून 2019

क्र. ई-5-922-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय कटेसरिया, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर को दिनांक 24 जून से 4 जुलाई 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कटेसरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजय कटेसरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कटेसरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-961-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मयंक अग्रवाल, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा को दिनांक 15 से 23 जुलाई 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मयंक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1031-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, भाप्रसे, संचालक, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल को दिनांक 06 से 14 जून 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1093-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय कुमार मिश्र, आयएस., संयुक्त आवासीय आयुक्त, मध्यालोक भवन, मुम्बई तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, दि प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी, लिमिटेड, मुम्बई को दिनांक 21 से 29 जून 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2019 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त आवासीय आयुक्त, मध्यालोक भवन, मुम्बई तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, दि प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी, लिमिटेड, मुम्बई के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 जून 2019

क्र. ई-5-983-आयएस-लीव-5-एक.—श्री साकेत मालवीय, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना को दिनांक 28 जून से 12 जुलाई 2019 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री साकेत मालवीय, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री साकेत मालवीय, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साकेत मालवीय, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड़ मुकजी, प्रमुख सचिव (कार्मिक)।

भोपाल, दिनांक 22 जून 2019

क्र. ई. 5-691-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकजी, भाप्रसे (1993) तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग [वर्तमान में प्रमुख सचिव (कार्मिक) सामान्य प्रशासन विभाग] को समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2018 द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2018 से 30 जून 2019 तक दो सौ उन्तीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें 14 नवम्बर 2018 से 2 जून 2019 तक, दो सौ एक दिन का संशोधित/पुनरीक्षित चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

भोपाल, दिनांक 24 जून 2019

क्र. ई-5-523-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिखा दुबे, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2019 द्वारा दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 10 से 22 जून 2019 तक, तेरह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2019

क्र. एफ-1(ए)400-1988-ब-2-दो-संशोधित.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2019 को निरस्त करते हुए श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, पु.मु., भोपाल, मध्यप्रदेश को दिनांक 13 से 25 मई 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 28 जून 2019

क्र. एफ 1(ए) 135-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, सेनानी, 14वी वाहिनी, विसबल, ग्वालियर

को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 6 से 15 जून 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 जून व 16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत लेह-लद्दाख (जम्मू-कश्मीर) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया — स्वयं
2. श्रीमती सीमा सिंह भदौरिया — पत्नी
3. श्री आयुष सिंह भदौरिया — पुत्र
4. श्री श्रेयश सिंह भदौरिया — पुत्र

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे का चालू कार्य सुश्री प्रतिभा त्रिपाठी, रापुसे, उप सेनानी, 14वी वाहिनी, विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सेनानी, 14वी वाहिनी, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जून 2019

फा. क्र. 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)3410.—(मेरिट क्र. 76).—राज्य शासन, सुश्री पूजा वर्मा पुत्री श्री हरि राम वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 28 जुलाई 1992 है।

भोपाल, दिनांक 28 जून 2019

फा. क्र. 3464-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में पदस्थ नियमित संवर्ग के ऐसे समस्त लोक अभियोजन अधिकारियों को, जिनकी सेवा 7 वर्ष या उससे अधिक की है, अपर लोक अभियोजक के रूप में पदाभिहित करता है. संबंधित जिला दण्डाधिकारी उपरोक्तानुसार पदाभिहित अपर लोक अभियोजकों को ऐसे सत्र/अतिरिक्त सत्र न्यायालयों में अभियोजन के संचालन हेतु जिनके लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) के अधीन नियुक्ति लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक किसी भी कारण से अस्थायी या स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है, अधिकृत कर सकेंगे.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

फा. क्र. 2019-इक्कीस-ब (एक)3371.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री शिवांगी सिंह परिहार पुत्री श्री नरेश प्रताप सिंह के नियुक्ति आदेश क्रमांक 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)1709, दिनांक 18 मार्च 2019 में गृह जिला "भोपाल" के स्थान पर गृह जिला "उमरिया" एतद्वारा संशोधित करता है.

फा. क्र. 2019-इक्कीस-ब (एक)3371.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री निकिता पवार पुत्री श्री मदन सिंह पवार के नियुक्ति आदेश क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक)6022, दिनांक 6 दिसम्बर 2018 में गृह जिला "भोपाल" के स्थान पर गृह जिला "रायसेन" एतद्वारा संशोधित करता है.

फा. क्र. 2019-इक्कीस-ब (एक)3371.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री शिवानी सैनी पुत्री श्री महेश कुमार सैनी के नियुक्ति आदेश क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक)5749, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 में गृह जिला "इन्दौर" के स्थान पर गृह जिला "नीमच" एतद्वारा संशोधित करता है.

फा. क्र. 2019-इक्कीस-ब (एक)3371.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री सृष्टि पटेल पुत्री श्री जितेन्द्र सिंह पटेल के नियुक्ति आदेश क्रमांक 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)1621, दिनांक 19 मार्च 2019 में गृह जिला "भोपाल" के स्थान पर गृह जिला "नरसिंहपुर" एतद्वारा संशोधित करता है.

फा. क्र. 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)3437.—(अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतीक्षा सूची क्रमांक 01).—राज्य शासन, सुश्री रविना चौधरी पुत्री श्री धर्मराज चौधरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा

पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 27 अगस्त 1993 है.

फा. क्र. 3464ए-इक्कीस-ब(दो)-संशोधित.—राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3464-इक्कीस-ब (दो) दिनांक 28 जून 2019 को निरस्त करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक जिले में पदस्थ नियमित संवर्ग के ऐसे समस्त लोक अभियोजन अधिकारियों को, जिनकी सेवा 7 वर्ष या उससे अधिक की है, अपर लोक अभियोजक के रूप में पदाभिहित करता है. संबंधित जिला दण्डाधिकारी उपरोक्तानुसार पदाभिहित अपर लोक अभियोजकों को ऐसे सत्र/अतिरिक्त सत्र न्यायालयों में अभियोजन के संचालन हेतु जिनके लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) के अधीन नियुक्ति लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक किसी भी कारण से अस्थायी या स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है, के उपलब्ध होने तक अधिकृत कर सकेंगे.

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2019

फा. क्र. 2019-इक्कीस-ब (एक)3372.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री संगम सिंह गोड पुत्र श्री हीरा सिंह के नियुक्ति आदेश क्रमांक 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक)3839, दिनांक 30 दिसम्बर 2017 में उनका नाम "श्री संगम सिंह गोड़" के स्थान पर "श्री संगम सिंह" एतद्वारा संशोधित करता है.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2019

फा. क्र. 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक)2931.—(मेरिट क्रमांक 80).—राज्य शासन, श्री आशीष धुर्वे पुत्र श्री पदम लाल धुर्वे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 24 दिसम्बर 1987 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2019

फा. क्र. 3360-इक्कीस-ब(दो) 2019.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक 16 सन् 2001) की धारा 12 के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 7 (1) के अन्तर्गत पदाभिहित विशेष न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिये, समस्त लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजकों, जिन्हें 10 वर्ष का विधि अनुभव प्राप्त है, को एतद्द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजकों के मध्य कार्य आवंटन जिले के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा. उक्त प्रकरणों में अभियोजन के संचालन हेतु शासन द्वारा पृथक् से कोई फीस देय नहीं होगी.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.

फा. क्र. 3361-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के रिट याचिकाओं, दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त श्री सत्यम अग्रवाल अधिवक्ता, जबलपुर को उनके कार्यकाल समाप्त होने वाले दिनांक 27 अप्रैल 2019 से पुनः एक अतिरिक्त स्वीकृत किये गये पद पर अतिरिक्त विशेष शासकीय अधिवक्ता तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(8) के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक मासिक पारिश्रमिक राशि 55,000/- (पचपन हजार) पर एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करता है. उपरोक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पा सकेंगे. पारिश्रमिक एवं व्यय का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2019

फा. क्र. 3580-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अधीन श्री बलराज कुमार पालोदा, ए. एस. जे., विशेष न्यायालय क्र. 5 विद्युत् अधिनियम, जिला इन्दौर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर में सचिव के पद पर श्री वैभव मण्डलोई के स्थान पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2019

क्र. 778-587-2019-ए-ग्यारह.—बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, बिरसिंगपुर जिला उमरिया, मध्यप्रदेश स्थित वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4514 यूनिट-04 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 23 जुलाई 2019 से 22 जुलाई 2020 तक की छूट प्रदान करता है:—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

उक्त आदेश को "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित किया जावे.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2019

क्र. एफ-16-01-2019-ए-ग्यारह.—बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, सारनी जिला बैतूल (म. प्र.) को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3534, यूनिट-09 को दिनांक 21 जून 2019 से 20 अगस्त 2019 तक की अवधि हेतु निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से छूट प्रदाय करता है:—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
- (4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- (5) भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी।
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

उक्त आदेश को "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित किया जाये।

भोपाल, दिनांक 25 जून 2019

क्र. 824-713-2019-ए-ग्यारह.—बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, सारनी जिला बैतूल (म. प्र.) को वाष्यंत्र क्रमांक एमपी/3373 को दिनांक 28 जून 2019 से 27 जून 2020 तक की अवधि हेतु निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से छूट प्रदाय करता है:—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार

संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।

- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
- (4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- (5) भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी।
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

उक्त आदेश को "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री. के. बरोनिया, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 21 जून 2019

क्र. एफ-6-2-2016-अठावन.— दिनांक 13 अप्रैल 2017 एवं समसंख्यक संशोधित अधिसूचना दिनांक 21 अप्रैल 2017 के अनुक्रम में उज्जैन जिले के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट-5 अतिरिक्त नवीन सूची अनुसार स्थापित नवीन स्वचलित मौसम केन्द्र को अधिसूचित किया जाता है। इस केन्द्र के स्थापना के पूर्व इसके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों का मौसम डाटा नजदीकी मौसम केन्द्र के रिकॉर्ड अनुसार मान्य किया जावेगा। इस मौसम केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट-2 पर है। अतिरिक्त मैपिंग सूची विभाग की वेबसाइट www.mphorticulture.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव।

परिशिष्ट-2 अतिरिक्त मैपिंग सूची

क्र.	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	गांव	संदर्भित मौसम केन्द्र का नाम	संदर्भित मौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र	बीमा कंपनी का नाम	मौसम के आंकड़े प्रदायदाता कम्पनी
No.	Distict	Tehsil	Revenu Circle	Village	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ujjain	Tarana	Maakadon-01	Kapelee	Kapelee	Chakya	HDFC ERGO	Skymet
2	Ujjain	Tarana	Maakadon-01	Sarala	Kapelee	Chakya	HDFC ERGO	Skymet

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2019

क्रमांक-एफ-25-29/2019/10-3. :: भारतीय वन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड लेदरा से N- 24° 53' 03.3" से N- 24° 53' 23.7" उत्तर अक्षांश तथा E- 81° 00' 26.7" से E- 81° 00' 31.7" पूर्व देशांश के बीच स्थित हैं।

अनुसूची

जिला-सतना						तहसील-मझगवॉ
वनमंडल-सतना						वन परिक्षेत्र-मझगवॉ
अ क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.)	लेदरा	लेदरा	राजस्व	40/2	1.265	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 07 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 12 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 01 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 06 तक की कृत्रिम वनसीमा।
				41/2	0.785	
				42/2	0.607	
				43/2	0.405	
				48/2	0.659	
				49	0.324	
				50	0.057	
				51/2	0.405	
				53	0.101	
				54	1.392	
				योग	6.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/No 8-87/2002-FC दिनांक 19-05-2003में अधिरोपित शर्त के अनुसार पटना जलाशय की स्वीकृत परियोजना कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग की स्वीकृत पटना जलाशय परियोजना में प्रभावित 27.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 27.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सतना के आदेश क्रमांक/59 दिनांक 26.05.2006 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण— निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर सतना के प्रतिवेदन क्रमांक 59 दिनांक 26.05.2006 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं—

1. व्यक्तिगत अधिकार— उक्त भूमि पर व्यक्ति अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार— उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल दिनांक 28 जून 2019

एफ-25-29-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-29-2019-दस-3, दिनांक 28 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 28th June 2019

No.-F-25-29/2019/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927(xvi of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communication in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest Block lies between N- 24° 53' 03.3" to N- 24° 53' 23.7" & North Latitude and E- 81° 00' 26.7" to E- 81° 00' 31.7" East Longitude.

SCHEDULE

District :- Satna

Forest Division: - Satna

Tehsil- MAJHGAWAN

Range- MAJHGAWAN

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	khasra No.	Area (Hectare)	
1	LEDARA	LEDARA	Revenue Land	40/2	1.265	North- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 06 to 07 of Perposed Protected Forest Block. East- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 07 to 12 of Perposed Protected Forest Block.
				41/2	0.785	
				42/2	0.607	
				43/2	0.405	
				48/2	0.659	
				49	0.324	

				50	0.057	South- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 12 to 01 of Perposed Protected Forest Block.
				51/2	0.405	
				53	0.101	
				54	1.392	West- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 01 to 06 of Perposed Protected Forest Block.
				Total	6.00	

(A) Reason for publication of Notification:

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-87/2002-FC dated 19-05-2003 and in lieu of 27.000 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Panta Tank Excutive Engineer Water Resources Department Satna 27.00 hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 6.00 Hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No - 59 dated 26-05-2006 for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 59 date 26-05-2006 Of Collector Satna (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. **Individual Rights** – There are no Individual right on the said land.
2. **Community Rights** – There are no Communities right on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2019

1. क्रमांक-एफ-25-34/2019/10-3 : भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 22°19'18.088" से N 22°19'28.424" उत्तर अक्षांश तथा E 80°03'03.368" से E 80°03'17.025" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - सिवनी

वनमंडल - दक्षिण सिवनी वनमंडल

तहसील - केवलारी

वन परिक्षेत्र - केवलारी

क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	कंचनवाडा (केवलारी)	कंचनवाडा	निजी भूमि (भूमिस्वामी)	300/2	7.960	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 08 एवं 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग :-	7.960	

(क) अधिसूचना का प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6-MPC031/2015-BHO/1215 दिनांक 16/10/2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रोजेक्ट हेड जीएसपीएल इंडिया ट्रांस्को लिमिटेड गांधीनगर गुजरात की स्वीकृत परियोजना मल्लावरम-भोपाल-भीलवाडा-विजयपुर, रतलाम-दाहोद गैस पाईप लाईन में झाबुआ जिले की प्रभावित 7.96 हे. वनभूमि के एवज में सिवनी जिले के तहसील केवलारी के ग्राम कंचनवाडा की प्राप्त कुल 7.96 हे. गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक केवलारी जिला सिवनी के पंजीयन दिनांक 13.09.2017 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, निजी भूमि को वन विभाग के नाम पंजीकृत किया गया है।

(अ) व्यक्तिगत अधिकार - नहीं

(ब) सामुदायिक अधिकार - नहीं

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019

एफ-25-34-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-34-2019-दस-3, दिनांक 4 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 4th July 2019

No.-F-25-34/2019/10-3.:: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the Said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N.22°19'18.088" to N 22°19'28.424" North Latitude and E 80° 03' 03.368" to E 80° 03' 17.025" East Longitude).

SCHEDULE

District - Seoni

Forest Division - South Seoni Forest Division

Tahsil - Keolari

Forest Range -Keolari

S. N.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of proposed forest block	Name of village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hec.)	
1	Kanchanwara (Keolari)	Kanchanwara	Private Land (Bhumiswami)	300/2	7.960	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 06 of Protected Forest Block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 03 to 04 of Protected Forest Block.

						South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 03 of Protected Forest Block. West - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 06 to 08 and 01 of Protected Forest Block.
					Total	7.960

(A) Reason for publication of Notification

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. **6-MPC031/2015-BHO/1215** dated **16/10/2015** in lieu of **7.96 hectare** of affected forest land of Jhabua District under the sanctioned project of **Mallawaram-Bhopal-Bhilwara-Vijaypur, Ratlam-Dahod Gais Pipe Line of Project Head GSPL India Transco Limited Gandhinagar Gujrat** 7.96 hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 7.960 hectare transferred or mutedd in favour of M.P. Govt. Forest Department by Registred dated **13/09/2017** of Sub Registrar Keolari, Dist- Seoni for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Private Land has been Registered in favour of Forest Department.

(A) Rights of individuals - Nil

(B) Rights of Communities - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2019

क्रमांक-एफ-25-23/2019/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 21°40'20.80" से 21°40'45.09" उत्तर अक्षांश तथा 78°23'13.01" से 78°23'48.5" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - बैतूल

तहसील - मुलताई

वनमंडल - दक्षिण बैतूल

वन परिक्षेत्र - मुलताई

अ. क्र. (1)	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	कुण्डई	कुण्डई	बड़े झाड़ का जंगल	320/1 322/1	31.003 12.081	उत्तर प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 17 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से 24 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 44 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 44 से 03 तक की कृत्रिम वनसीमा।
				योग	43.084	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक पत्र क्र./8-227/89/एफ.सी. दिनांक 06.08.1990 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर की स्वीकृत परियोजना सीहोर जिले के रामपुराखुर्द (मध्यम) सिंचाई परियोजना के निमाणार्थ संरक्षित वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में प्रभावित 286.57 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 128.313 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 43.084 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बैतूल के आदेश क्रमांक राजस्व मामला क्रमांक 14/अ-19(3) वर्ष 2018-19 दिनांक 30/10/2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मुलताई (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक/2795 दिनांक 20.12.2018 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार : - उक्त भूमि पर व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर समुदायों का कोई अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019

एफ-25-23-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-23-2019-दस-3, दिनांक 4 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 4th July 2019

No.-F-25-23/2019/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 21°40'20.80" to 21°40'45.09" North Latitude and 78°23'13.01" to 78°23'48.5" East Longitude.

SCHEDULE

District : - Betul

Forest Division: - South Betul

Tahsil : - Multai

Forest Range : - Multai

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Kundai	Kundai	Big Tree Forest	320/1 322/1	31.003 12.081	North - Artificial Forest Boundary From Pillar Number 03 to 17 of Perposed Protected Forest Block. East -Artificial Forest Boundary From Pillar Number 17 to 24 of Perposed Protected Forest Block.

						South - Artificial Forest Boundary From Pillar Number 24 to 44 of Perposed Protected Forest Block. West - Artificial Forest Boundary From Pillar Number 44 to 03 of Perposed Protected Forest Block.
				Total	43.084	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-227/89/F.C. dated 06.08.1990 and in lieu of 286.57 hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Rampurakhurd (Medium) Irrigation Project of Executive Engineer, Water Resources Division Sehore 128.313 hectare Non Forest Land was made available and out of above Land 43.084 hectare Non Forest Land was transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 14/A-19(3) Year 2018-19 dated 30.10.2018 of Collector Betul for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.**

2. Details of other Reasons- Nill

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 2795 dated 20.12.2018 of Tahsildar Multai (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. **Individual Rights** – There are no Individual right on the said land.
2. **Community Rights** – There are no Communities right on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2019

क्रमांक-एफ-25-25/2019/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड कामा, खुईया से N-24° 52' 50.8" से N-24° 53' 13.8" उत्तर अक्षांश तथा E-081° 00' 31.7" से E-081° 00' 26.7"-- पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला-सतना

तहसील-मझगवॉ

वनमंडल-सतना

वन परिक्षेत्र-मझगवॉ

अ क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	कामा खुईया	कामा, खुईया	राजस्व	10/1	3.1	उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 06 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 08 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 01 तक की कृत्रिम वनसीमा।
				9/2	2.831	
				10/2	2.246	
				10/3ख	1.1	
				12	0.243	
				13/1	0.894	
				13/2	0.259	
				66	1.165	
				67	0.405	
				68	0.04	
				69	0.458	
				70	0.413	
				77/2	2.114	
				78/2	3.423	
79	1.108					
80/2	0.04					
81/2	1.21					
				योग	21.049	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/No 8-87/2002-FC दिनांक 19-05-2003 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग की स्वीकृत पटना जलाशय परियोजना में प्रभावित 27.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 27.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 21.049 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सतना के आदेश क्रमांक/59 दिनांक 26.05.2006 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण— निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर सतना (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक ..59 . दिनांक 26.05.2006 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं—

1. व्यक्तिगत अधिकार— उक्त भूमि पर व्यक्ति अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार:— उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

ii) अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019

एफ-25-25-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-25-2019-दस-3, दिनांक 4 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 4th July 2019

No.-F-25-25/2019/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927(xvi of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communication in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. this forest Block lies between N- 24⁰ 52' 50.8" to N- 24⁰ 53' 13.8 & North Latitude and E- 081⁰ 00' 31.7" to E- 081⁰ 00' 26.7" East Longitude:—

SCHEDULE

District : - Satna

Tehsil- MAJHGAWAN

Forest Division: - Satna

Range- MAJHGAWAN

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	khasra No.	Area (Hectare)	
1	KAMA, KHUEEY A	KAMA, KHUEEY A	Revenue Land	10/1	3.1	North- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 01 to 03 of Proposed Protected Forest Block. East- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 03 to 06 of Proposed Protected Forest Block. South- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 06 to 08 of Proposed Protected Forest Block. West- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 08 to 01 of Proposed Protected Forest Block.
				9/2	2.831	
				10/2	2.246	
				10/3ख	1.1	
				12	0.243	
				13/1	0.894	
				13/2	0.259	
				66	1.165	
				67	0.405	
				68	0.04	
				69	0.458	
				70	0.413	
				77/2	2.114	
				78/2	3.423	
				79	1.108	
80/2	0.04					
81/2	1.21					
Total				21.049		

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-87/2002-FC dated 19-05-2003 and in lieu of 27.000 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Panta Tank Excutive Engineer Water Resources Department Satna 27.00 hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 21.049 Hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No - 59 dated 26-05-2006 for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 59 date 26-05-2006 Of Competent Revenue officer Collector Satna are as under.

1. **Individual Rights** – There are no Individual right on the said land.

2. **Community Rights** – There are no Communities right on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. एफ-7-57-2003-बत्तीस.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री आर.एस. कोरी, डायरेक्टर (पर्यावरण), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य-सचिव के पद पर आगामी आदेश तक नामनिर्दिष्ट किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुपम राजन, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्रमांक एफ 27-1/2009/ए-16:- राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-27-1-09-ए-सोलह, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 को अधिकृत कर, मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद् के गठन की कार्यप्रणाली एवं नियमन संबंधी नियमों का अनुसरण करते हुए, मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद् का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है अर्थात्:-

(क) पदेन सदस्य

1.	श्रम मंत्री	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग	सदस्य
3.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल	सदस्य
4.	संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश, जबलपुर	सदस्य
5.	आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल	सदस्य
6.	उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) भारत सरकार, जबलपुर	सदस्य
7.	श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर	सदस्य सचिव

(ख) मनोनीत सदस्य

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधि
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र

1.	कार्यपालिक निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य
2.	कार्यपालिक निदेशक, विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एन.टी.पी.सी.) विन्ध्यनगर सिंगरौली या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य
3.	कार्यपालिक निदेशक, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयनगर गुना या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र

4.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, भोपाल या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य
5.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, रामपुर जबलपुर या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य

(2) निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के प्रतिनिधि

- | | | |
|-----|---|-------|
| 6. | श्री सुनील कुमार गोठी, सचिव, एम.पी. स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन, ई-2/30, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462016 म.प्र. | सदस्य |
| 7. | श्री डी. के. मित्तल, डिप्टी चेयरमेन दि मध्यप्रदेश टेक्सटाईल्स मिल्स एसोसिएशन (प्रेसिडेंट, मराल ओवरसीज लिमिटेड), खाल बुजुर्ग, पो. मराल सरोवर, ए.बी.रोड़, जिला खरगोन-451660 | सदस्य |
| 8. | श्री अर्जुन खन्ना, महासचिव, मध्य प्रदेश बीड़ी उद्योग संघ, सदस्य मेसर्स बी.आर.एण्ड कंपनी, 1 सिविल लाईन्स, श्री बाबूराव पिंपलापुरे मार्ग, पो.बा.नं. 11, सिविल लाईन्स, सागर म.प्र.470001 | सदस्य |
| 9. | श्री आलोक दवे, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज मध्यप्रदेश, उद्योग भवन इण्डस्ट्रीयल स्टेट 96 पोलोग्राउण्ड इन्दौर | सदस्य |
| 10. | श्री ललित जैन, अध्यक्ष, भोपाल चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ए -15 सहगल टॉवर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी मेनरोड़ कोहेफिजा भोपाल-462001 | सदस्य |
| 11. | श्री रवि गुप्ता, अध्यक्ष, महाकोशल चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री चेम्बर भवन सिविक सेंटर, मढाताल जबलपुर -2 | सदस्य |
| 12. | श्री गिरीश मंगला, कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्रीज एमपी स्टेट काउन्सिल, मैनेजिंग डायरेक्टर, मंगला इन्टर प्राईजेज प्रा.लि. ग्राउण्ड फ्लोर, ब्रिलियंट प्लेटिना प्लाट नं. 8 स्कीम नं. 78 पार्ट-2 इन्दौर म.प्र.-452010 | सदस्य |
| 13. | श्री आशित गांधी, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज, देवास, डायरेक्टर, रघु प्रिसिजन इंजिनिरिंग प्रा.लि. 1/बी/1, 1/बी/2 ए.आय.एस. गजरा इण्डस्ट्रीयल एरिया नं. 1, ए.बी. रोड़, देवास 455001 | सदस्य |
| 14. | डॉ० गौतम कोठारी, अध्यक्ष, पीथमपुर औद्योगिक संगठन, 231, साकेत नगर, इन्दौर-452018 | सदस्य |

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)

- | | | |
|-----|--|-------|
| 15. | श्री आर.डी. त्रिपाठी अध्यक्ष म.प्र. इंटक एम-57/3 ए साकेत नगर, हबीबगंज, भोपाल 462024, | सदस्य |
| 16. | श्री श्याम सुन्दर यादव, संगठन मंत्री, इंटक, 40, सी.जे.आर.एम. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुखलिया इन्दौर 452010 | सदस्य |
| 17. | श्री के.एस. वर्मा, अध्यक्ष, म.प्र. ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, इंटक ए/3 आस्था रेसीडेन्सी, एस.एस.नगर, हाथीताल, जबलपुर 482001 | सदस्य |
| 18. | श्री रामराज तिवारी, सचिव, म.प्र. इंटक, बी-19, ओम नगर कॉलोनी, कोलार रोड़ भोपाल, म.प्र. 462042 | सदस्य |
| 19. | श्री राजेन्द्र सिंह नाती, सचिव, म.प्र. इंटक, श्रम शिविर, तानसेन मार्ग, ग्वालियर म.प्र. | सदस्य |
| 20. | श्री लक्ष्मी नारायण पाठक, अध्यक्ष, इन्दौर मिल मजदूर संघ, श्रम शिविर, 123, देवी अहिल्या मार्ग, इन्दौर-452003 | सदस्य |

(3) श्रमिक संघों के प्रतिनिधि
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)

- | | | |
|-----|--|-------|
| 21. | श्री कृष्णप्रताप सिंह, प्रदेश महामंत्री, बी-664, ओरिएण्ट पेपर मिल
अमलाई जिला शहडोल-484117 म.प्र. | सदस्य |
| 22. | श्री मधुकर साबले, अध्यक्ष, प्रताप वार्ड, भाग-2 लिंक रोड, टिकारी
सदर बैतूल म.प. | सदस्य |
| 23. | श्रीमती वंदना राजौरिया, प्रदेश मंत्री, शक्ति मंदिर के सामने कोठी
बाजार, होशंगाबाद (म.प्र.) पिन-461001 | सदस्य |

ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)

- | | | |
|-----|---|-------|
| 24. | श्री मोहन निमजे, प्रांतीय अध्यक्ष एटक राज्य परिषद्
29/5, परदेशी पुरा (न्यु रानी पुरा) इन्दौर | सदस्य |
|-----|---|-------|

हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस)

- | | | |
|-----|---|-------|
| 25. | श्री हरिओम सूर्यवंशी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हिन्द मजदूर सभा
(म.प्र.) 445, पाटनीपुरा, इन्दौर | सदस्य |
|-----|---|-------|

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू)

- | | | |
|-----|---|-------|
| 26. | श्री प्रमोद प्रधान, प्रांतीय महासचिव, सी.आई.टी.यू.म.प्र.
13, पद्मनाभ नगर, न्यू सुभाष नगर, भोपाल 462023 | सदस्य |
|-----|---|-------|

श्रमजीवी पत्रकार अथवा गैर पत्रकार संघ

- | | | |
|-----|---|-------|
| 27. | श्री शलभ भदौरिया प्रांताध्यक्ष, मध्य प्रदेश श्रम जीवी पत्रकार संघ,
एफ 94/11, तुलसी नगर, भोपाल 462003 | सदस्य |
|-----|---|-------|

असंगठित ग्रामीण श्रमिक संगठन (असंबद्ध संगठन)

- | | | |
|-----|---|-------|
| 28. | सुश्री शिखा जोशी, महामंत्री, स्वाश्रयी महिला सेवा संघ, 86 बी,
वैशाली नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर | सदस्य |
|-----|---|-------|

प्रदेश के एक माननीय लोकसभा सदस्य

- | | | |
|-----|----------------------------------|-------|
| 29. | श्री विवके तन्खा, सांसद राज्यसभा | सदस्य |
|-----|----------------------------------|-------|

माननीय अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट चार सदस्य

30.	सुश्री मेघा पाटकर, समाज सेविका	सदस्य
31.	श्री रघुराज सिंह कंसाना, विधायक, मुरैना	सदस्य
32.	श्री राजेन्द्र सिंह नाती, ग्वालियर	सदस्य
33.	श्री श्यामसुन्दर यादव, इंदौर	सदस्य

यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना मेहरा अटूट, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2019

क्र. एफ 49-1-रास.-यू.ए.-5-2016.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 611-रास-यू.ए.-5-2018, दिनांक 24 अप्रैल 2018 के अनुक्रम में, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपति जी ने धारा 27(2)(तीन) के तहत डॉ. आशुतोष अनिरुद्ध मुरकुटे, प्रिंसिपल साइंटिस्ट ICAR-CCRI, Nagpur को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सदस्य नामांकित किया है।

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
केयूर संपत, राज्यपाल के उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 249.—

राजगढ़, दिनांक 30 मई 2019

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा -19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25.05.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

अनुसूची(1)

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० मे	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	नरसिंहगढ़	मानपिछोड़ी	6.396	रामगंज मण्डी से भोपल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 250

प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा -19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 27.04.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

अनुसूची(1)

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० मे	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	नरसिंहगढ़	कोलूखोड़ी	9.040	रामगंज मण्डी से भोपल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 251

प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। इस आशय की धारा -19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 06.07.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

अनुसूची(1)

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० में	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	नरसिंहगढ़	सोनकच्छ	18.091	रामगंज मण्डी से भोपल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 253

प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। इस आशय की धारा -19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 15.06.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

अनुसूची(1)

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० में	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	नरसिंहगढ़	चैनपुराकलां	7.125	रामगंज मण्डी से भोपल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 254

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। इस आशय की धारा -19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25.05.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

अनुसूची(1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० मे	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	नरसिंहगढ़	नरसिंहपुरा	26.188	रामगंज मण्डी से भोपल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 255

प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। इस आशय की धारा -19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25.05.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

अनुसूची(1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० मे	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीखूर्द	2.430	रामगंज मण्डी से भोपल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 256

प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा -19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25.05.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

अनुसूची(1)

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० मे	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	नरसिंहगढ़	जामोन्धा जौहार	12.194	रामगंज मण्डी से भोपल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 257

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा -19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 27.04.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

अनुसूची(1)

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० मे	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	नरसिंहगढ़	छपरीकलां	5.503	रामगंज मण्डी से भोपल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 258

प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। इस आशय की धारा -19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25.05.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। इन परिस्थितियों में विहित समय में सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

अनुसूची(1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० मे	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	नरसिंहगढ़	जामोन्व्यागणेश	5.565	रामगंज मण्डी से नई बड़ी रेल लाईन पा हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 354/अ-82/2019-2020

राजगढ़, दिनांक 31 मई 2019

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम कलालपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 19 रकबा 0.430 हे.पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम कलालपुरा

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
1	19 ✓	0.430 ✓	बापूलाल पिता मानसिंह ✓	1 ✓	176.58 ✓
2			इन्दरसिंह पिता बापूलाल ✓	2 ✓	110.23 ✓
3			कंवरलाल पिता बापूलाल ✓	3 ✓	60.96 ✓
4			गुलाबसिंह पिता शालीगराम ✓	7 ✓	28.08 ✓
5			विष्णु पिता गोवरधन ✓	13 ✓	102.60 ✓
6			उमरावबाई पति ग्यारसीराम ✓	16 ✓	30.03 ✓
7			पारीबाई पति स्व. अमरसिंहजी ✓	17 ✓	37.44 ✓
8			राधेश्याम पिता ग्यारसीराम ✓	18 ✓	118.65 ✓
9			शंकरलाल पिता खीमाजी ✓	21 ✓	119.56 ✓
10			राधेश्याम पिता शंकरलाल ✓	22 ✓	119.56 ✓
11			लाखन पिता हजारीलाल ✓	23 ✓	88.85 ✓
12			देवीराम पिता मनाजी ✓	25 ✓	22.10 ✓
13			मांगीबाई पति देवीराम ✓	26 ✓	36.26 ✓
14			रामचन्द्रर पिता देवीराम ✓	27 ✓	38.76 ✓
15			मांगीलाल पिता भौनजी ✓	29 ✓	40.12 ✓
16			सुरेश पिता मांगीलाल ✓	30 ✓	37.40 ✓
17			विक्रम पिता मांगीलाल ✓	31 ✓	50.84 ✓
18			रंगलाल पिता किसनलाल ✓	36 ✓	65.79 ✓
19			दरियावबाई पति किशनलाल ✓	37 ✓	40.88 ✓

20	बनेसिंह पिता किशनलाल ✓	38 ✓	40.88 ✓
21	राधेश्याम पिता मोहरसिंह ✓	41 ✓	114.84 ✓
22	मुकेश पिता मोहनलाल ✓	45 ✓	53.15 ✓
23	दिनेश पिता मोहनलाल ✓	47 ✓	76.00 ✓
24	रामनारायण पिता मदनलाल ✓	49 ✓	86.47 ✓
25	देवीराम पिता देवाजी ✓	53 ✓	51.60 ✓
26	अनोखबाई पति कन्हैयालाल ✓	57 ✓	38.52 ✓
27	बीरम पिता रोड़जी ✓	64 ✓	46.24 ✓
28	रम्कुबाई पति मोहनलाल ✓	67 ✓	36.55 ✓
29	भारतसिंह पिता नाथूलाल ✓	69 ✓	78.10 ✓
30	घीसालाल पिता नाथूलाल ✓	70 ✓	71.65 ✓
31	अर्जुनसिंह पिता पांचूलाल ✓	71 ✓	96.50 ✓
32	इन्दरसिंह पिता पांचूलाल ✓	72 ✓	43.87 ✓
33	अयोध्याबाई पति हजारीलाल ✓	73 ✓	81.72 ✓
34	अमरसिंह पिता कालू ✓	74 ✓	30.03 ✓
35	रामप्रसाद पिता कालू जी ✓	75 ✓	48.24 ✓
36	मांगीबाई पिता कालूजी ✓	76 ✓	19.03 ✓
37	करनसिंह पिता कालूजी ✓	77 ✓	25.92 ✓
38	मांगीलाल पिता करनसिंह ✓	78 ✓	35.95 ✓
39	रोड़जी पिता कालू ✓	79 ✓	51.75 ✓
40	राधेश्याम पिता ग्यारसीराम ✓	85 ✓	35.08 ✓
41	ग्यारसीराम पिता कालू ✓	86 ✓	105.13 ✓
42	पारीबाई पति अमरसिंह ✓	87 ✓	28.12 ✓
43	धीरप पिता ग्यारसीराम ✓	88 ✓	30.42 ✓
44	गोरेलाल पिता खीमाजी ✓	90 ✓	16.56 ✓
45	रमेश पिता गोरेलाल ✓	91 ✓	87.54 ✓
46	केसरसिंह पिता गोरीलाल ✓	93 ✓	40.35 ✓
47	सरदारबाई पति मदनलाल ✓	96 ✓	118.32 ✓
48	लखन पिता जयराम ✓	101 ✓	51.60 ✓
49	सुरेश पिता रामनारायण ✓	102 ✓	34.08 ✓
50	रेशमबाई पिता गोरीलाल ✓	104 ✓	24.85 ✓
51	हेमराज पिता जयराम ✓	106 ✓	39.22 ✓

52		राकेश पिता जयराम ✓	107 ✓	33.93 ✓
53		जयराम पिता खीमाजी ✓	108 ✓	59.74 ✓
54		मांगीबाई पति बजेसिंह ✓	109 ✓	88.14 ✓
55		फूलसिंह पिता लक्ष्मण ✓	110 ✓	83.74 ✓
56		मांगीलाल पिता किशनलाल ✓	112 ✓	73.50 ✓
57		रमेश पिता किशनलाल ✓	113 ✓	80.94 ✓
58		हजारीलाल पिता बद्रीलाल ✓	115 ✓	52.59 ✓
59		शिवनारायण पिता बद्रीलाल ✓	116 ✓	52.59 ✓
60		बजेसिंह पिता लक्ष्मण ✓	118 ✓	107.80 ✓
61		कमलसिंह पिता फूलसिंह ✓	119 ✓	116.64 ✓
62		प्रेमबाई पति फूलसिंह ✓	120 ✓	25.07 ✓
योग :-				3837.650 ✓
			या (हे.मे)	0.384 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 355/अ-82/2019-2020

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के **ग्राम उदपुरिया** के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 21/1 रकबा 0.443 हे.पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम उदपुरिया

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4	5	
1	21/1 ✓	0.443 ✓	कालूराम पिता पन्नालाल ✓	23 ✓	208.48 ✓
2			बलराम पिता कालूराम ✓	24 ✓	208.48 ✓
3			हरिनारायण पिता कालूराम ✓	25 ✓	188.50 ✓
4			दिनेश पिता अमृतलाल ✓	27/1 ✓	157.18 ✓
5			इन्द्रसिंह पिता अमृतलाल ✓	27/2 ✓	157.18 ✓
6			चन्द्रसिंह पिता रतिराम ✓	29/1 ✓	253.90 ✓
7			विजयसिंह पिता प्यारजी ✓	117 ✓	167.10 ✓
8			जगन्नाथ पिता प्यारजी ✓	120 ✓	271.25 ✓
योग :-					1612.07 ✓
				या (हे.में)	0.161 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 36-अ-82-16-17-परमंडल-5296

बैतूल, दिनांक 4 जून 2019

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०मे)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	परमंडल	1.620	उप मुख्य अभियन्ता निर्माण मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महा.) एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी-नागपुर तीसरी लाइन

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	माखन वल्द रामलाल सा.देह	102	0.550	0.003
2	कलावती जौ. जंगली जाति किराड़ सा. देह भूमि स्वामी	107	0.243	0.064
3	सुईला बेवा गेन्दु ग्यारसी नान्हों भूली पिता गेन्दू मुन्ना वल्द रोन्या अन्नू जेतूल पिता रोन्या नन्दू शंकर हरि विनोदी व छितर्या बकाराम वल्द तुलसीराम सुन्दरी उर्फ सुरती बेवा तुलसीराम सावित्री बेवा पन्ना ईश्वर भरत वल्द पन्ना झुना कसिया रामकला पिता पन्ना कस्तुरी बेवा चैतू राजेराम कुवरलाल जोगी भैयालाल वल्द चैतू भूमि स्वामी	108/1	0.214	0.053

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
4	पुन्या, अनिल शेषराव दीनानाथ वल्द बिहारी जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी	108/2	0.044	0.016
5	सावन्या वल्द लोहबा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	108/3	0.068	0.020
6	मुन्नी पिता गांवजी, बिहारी वल्द दमड्या गेंदी पिता दमड्या हिराजी फाग्या रमेश दिनेश सुरेश पिता प्यारेलाल गुलस पिता प्यारेलाल	110	0.073	0.049
7	अन्ना वल्द किसन जाति किराड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	166/1	1.642	0.064
8	काशीराम वल्द डोमा पता सा. देह भूमि स्वामी	161/1	0.466	0.001
9	जगली, टंटी वल्द बिरजू सा. देह भूमि स्वामी	164	0.672	0.036
10	टंटी वल्द बिरजू जाति किराड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	165	0.170	0.076
11	सावन्या वल्द लोहबा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	156/4	0.756	0.067
		156/5	0.899	
12	जूगली घुंडी पिता बीरबल जाति किराड़ सा.देह भूमि स्वामी	472/1	0.425	0.145
13	सावल बेवा मूलचंद शिवदयाल कमलेश, बाबूलाल पप्पू वल्द मूलचंद कमल ईमला पिता मूलचंद फूलचंद, हेमराज वल्द हरीराम जाति किराड़ सा.देह भूमि स्वामी	461/5	0.158	0.028
		461/6	0.076	
14	हेमराज वल्द हरीराम जाति किराड़ पता सा.देह	461/7	0.082	

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
15	भूरा वल्द सददू कमला बायजा सारजी पिता सददू जाइ बेवा मौजी शंकर गणपति, बालकिसन सुभाष वल्द मंगलू हीरा जसोदी तुलसी पिता मंगलू अनिल, अनिल हरि, चिरोजी वल्द चैतराम मीरा, मथरा, गुलस, रूखमणी पिता चैतराम प्रमीला बेवा बंशी दुर्गेश, हेमन्त रविना ना.बा.पिता बंशी वली मां प्रमिला पन्ना वल्द गणेश काशी रक्खू पिता मेजर झुनिया बेवा चैतराम जाति पंवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	460/1	0.386	0.069
16	किशोरी राजेश वल्द धनजी गिरजा पिता धनजी जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी	458/2	0.567	0.079
17	गनपति किशोरी वल्द भजन सा.देह भूमि स्वामी	438/4	0.303	0.140
18	लंगूर वल्द धन्नु सा.देह भूमि स्वामी	438/5	0.152	0.014
19	लुंगर वल्द धन्नु चैती जौ. भुरा दसरी जौ. सेवकराम जुगन्ती जौ. नत्थू सा.देह भूमि स्वामी	438/1	0.380	0.007
20	भूरा वल्द सददू सा. देह भूमि स्वामी	440	0.781	0.020
21	अनिल वल्द चैतराम जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी	439/1	0.062	0.020
22	शंकर वल्द मंगलू जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी	439/8	0.178	0.019
23	श्रीमति शकुंतला जौ. सुन्दरलाल सा. मुलताई भूमि स्वामी	591/1	0.526	0.195

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
24	हरीराम, हरीलाल वल्द राजेराम, बाया, रैसुल, जैतुल पिता राजेराम शिवचरण कष्णा वल्द पन्ना अनिता . सुनिता पिता पन्ना दुर्गा बेवा नारायण सुमन बेवा नारायण, दीपिका कल्पना, नीशा ना.बा. वली मां सुमन बेवा नारायण रूपा ना. बा. वली मां दुर्गा बेवा नारायण भूमि स्वामी	596	1.837	0.218
25	माहगी बेवा धन्नू जयनाबाई बेवा लक्ष्मण दिनेश महेश रमेश पिता लक्ष्मण सगुनबाई पिता लक्ष्मण जाति पंवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	597	1.910	0.217
26	मस्जिद, इसमाईल सरवराकार सहाबुद्दीन वल्द रफी उद्दीन सा. मुलताई भूमि स्वामी	598	2.088	
योग				1.620

1- चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 35-अ-82-16-17-मुलताई-5298

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	मुलताई	0.811	उप मुख्य अभियन्ता निर्माण मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महा) एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी- नागपुर तीसरी लाईन

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	भन्नू वल्द छुरी फत्तू वल्द भभूत्या फकीरचंद चिंतू वल्द कोल्हू मुन्नी पिता कोल्हू सा. परमंडल	239/1	0.065	0.030
		239/3	0.648	0.074
2	मुन्नी पिता कोल्हू निवासी परमंडल	239/2	0.282	0.062
3	भैयालाल हरिदास, चेतन वल्द ओझा किरण गीता, सरोज, सुनिता पिता ओझा गजराबाई बेवा ओझा जाति मेहरा सा. देह	241	1.143	0.074

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
4	महादेव, शिवदास वल्द लक्ष्मण, सहमद बेवा लक्ष्मण, गणेश मुकेश वल्द शंकर इमरती बेवा शंकर सा. मेहकर	242	2.287	0.063
5	बंशीलाल वल्द जाधो सा. परमंडल	243/5	1.283	0.022
6	राजेश कुमार अशोक कुमार वल्द गेंदलाल, ज्योति पिता गेंदलाल जाति पंवार	244/2	0.397	0.033
7	मालतीबाई बेवा बिहारीलाल, सुरेश, दिनेश, व0 बिहारीलाल निर्मलाबाई पति सुखराम पिता बिहारीलाल सा. देह	245/1	0.294	0.116
8	कमलेश वल्द हीराजी, दुलारी संगीता पिता हीराजी, कमल ना. बा.वल्द हीराजी वली मां सुधा सुधा बेवा हीराजी जाति पंवार सा. देह	245/2	0.320	0.103
9	हीराबाई बेवा सावन्या, गणेश वल्द सावन्या शकुन्तला पिता सावन्या जाति पंवार सा. देह	245/3	0.305	0.080
10	शांती जौजे बाबूलाल सा.देह	246	0.801	0.053
11	लूथा जौजे. नत्थू माधो वल्द टुकड़या लालजी वल्द कन्हैया सोनाय बेवा कन्हैया, भूरसी जौ. रामचन्द्र सा. परमंडल	273	0.049	0.027
12	श्री रामचन्द्र जी मंदिर	356	0.040	0.060

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
13	तारेश कुमार वल्द मुन्नालाल ना. बा. अनिता पिता मुन्नालाल, वली मां मुन्नी, मुन्नी बेवा मुन्नालाल सुशीला जौजे इन्द्रपाल भिक्या वल्द मिट्टू सरस्वती जौजे बाजेराव, हेमलता जौजे लक्ष्मी नारायण विजय कुमार प्रशांत कुमार वल्द राधाकृष्ण टुकड्दास रमेश, गणेश, मनोहर, दीनू वल्द सोजर सरस्वती सुखवती पिता सोजर सुबेबाई जौजे अर्जुन नान्हु वल्द राम सा.देह	355/1	2.027	0.014
योग				0.811

1- चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 38-अ-82-16-17-जौलखेड़ा-5299

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	जौलखेड़ा	0.552	उप मुख्य अभियन्ता निर्माण मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महा.) एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी-नागपुर तीसरी लाईन

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	घुडिया वल्द भोन्दु तेली सा०देह	3/1	0.245	0.003
2	घुडिया वल्द भोन्दु तेली सा० देह	4/1	0.990	0.009
3	फत्तू वल्द प्रेमू सा० देह	17/1	0.61	0.119
4	नथन वल्द झिपरया सा०देह	61/1	0.007	0.003
5	छोटू वल्द झिपरया सा० देह	61/3	0.007	0.003
6	भोला वल्द बिरजलाल बना छोटी जमना पिता बिरजलाल बंटनी बेवा इन्दू रामरतन कमलकिशोर वल्द इन्दू मीरा द्वारका सुनिता अनिता रुकमणी ज्योति पिता इन्दु सा० देह	61/2	0.014	0.003
7	चुनिया पति कालूराम सा०देह०	62/2	0.046	0.006
8	कालूराम वल्द ब्रजलाल सा०देह	62/3	0.046	0.005
9	कालूराम वल्द ब्रजलाल सा०देह	63	0.295	0.023
10	नान्हु वल्द धुन्दु सा०देह	89/1	0.377	0.007

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
11	विमला बेवा मुन्नालाल हरिश निलेश वल्द मुन्नालाल मनीषा पिता मुन्नालाल सा0देह	89/2	0.377	0.052
12	छोटेलाल, शंकर वल्द मौजी कैलाश, प्रहलाद वल्द गुल्लू अनुसया पिता गुल्लू सा0 देह	178/2	0.393	0.001
13	सुन्दरसिंह वल्द बलसिंह राधा बेवा राजेश पंकजसिंह वल्द राजेशसिंह सा0 देह	706/1	0.677	0.030
14	हेमराजसिंह वल्द सुखचंद सा0 देह	734/1	0.571	0.048
15	झुनिया वल्द चिरोजी सा0 देह	734/2	0.647	0.040
16	पूरन वल्द गेन्दलाल सा0 देह	734/3	0.486	0.016
17	बिहारी वल्द मंशाराम सा0 देह	734/4	0.607	0.080
18	पुरुषोत्तम वल्द रामलाल धनराज वल्द पुरुषोत्तम सा.0देह	726	2.044	0.104
योग				0.552

1- चूकि ईटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 11-अ-82-16-17-सडकवाड़ा-5354

बैतूल, दिनांक 7 जून 2019

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची- 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	लगभग	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4		5
बैतूल	घोडाडोंगरी	सडकवाड़ा	0.330		ईटारसी --नागपुर, तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	भगीया बेवा उदेसिंग सूरज, पंचम, छतन, कुमानसिंग वल्द उदेसिंग जाति गोंड सा० देह	210	1.534	0.001
2	बिजंतीबाई पिता फागु जाति गोंड सा० देह	217	0.283	0.001
3	नविया बेवा फगनु कलेसिया, कलावती, सुमन, सुमरती, फूलवती, सुलन्ती पिता फगनु मंगलसिंग वल्द मन्नु झम्मी बेवा मोडडा, भैयालाल, गजमल, विसिंग, बिसनु वल्द मोडडा झुनकी फुलवती, श्यामवती पिता मोडडा, रामा डोंगरी, रामबाई पिता श्यामू कमला बेवा डेबू रामदास वल्द डेबू छतन वल्द लक्ष्मण मन्दी झबली बेवा सम्मल इमरत वल्द सम्मल रामजी किसन वल्द जोगी लक्ष्मी रामबाई पिता जोगी गोंड सा० देह	218	0.089	0.028
4	मिश्रीलाल व बिहारीलाल सा० देह	233	0.097	0.031
5	भगीया बेवा उदेसिंग सूरज, पंचम छतन, कुमानसिंग वल्द उदेसिंग जाति गोंड सा० देह	234	0.065	0.023
6	गुंडा व झीदू जाति गोंड पता निवासी	236	0.021	0.022
7	कालु व० दुकारी, किशोरी व मकडन, नजरू, भिवकी वल्द दसन, कज्जा मुल्लों पिता दसन बसंत सोमजी वल्द देलू झुनका, बिलन्ती, प्रेमवती, पिता देलू, मादू कारू वल्द चिवकू जाति गोंड सा० देह	256	0.772	0.039
8	कन्हेदीलाल व रामकिसन जाति तेली सा० घोडाडोंगरी	257	0.142	0.023
9	छट्टन व सुखनंदन जाति गोंड सा० देह	283	0.239	0.019
10	गजानंद व मुन्नी जाति गोंड सा० देह	291/1	0.700	0.012
11	संतलाल वल्द गजानंद जाति गोंड सा० देह	291/2	0.636	0.011
12	रामदास व रामसिंग रामरती, भागरती, सुगरती, पिता रामसिंग जाति गोंड सा० देह	292	0.117	0.042
13	शकुनबाई सरबती बेवा झामसिंग जाति गोंड सा० देह	293/1	0.328	0.017
14	जगन वल्द कान्हूलाल जाति गोंड सा० देह	293/2	0.348	0.007
15	प्रेमतीबाई जी. भगुलाल जाति गोंड	294	0.308	0.015
16	छोटू व मनीराम जाति गोंड सा० महेन्द्रवाडी	335/2	0.432	0.005
17	ब्रजलाल वल्द गजानंद जाति गोंड सा० देह	337/4	1.266	0.036
	योग		7.477	0.330

2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र. 07-अ-82-17-18-चापड़ामाल-5355

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	शाहपुर	चापड़ामाल	0.670	ईटारसी-नागपुर, तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्र मां क	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे०	अर्जित भूमि का रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	अशोक कुमार अजय कुमार वल्द शंकरलाल बेडरे जाति पवार सा० देह	84/1	5.853	0.193
2	रजनीबाई उर्फ करुणा जौजे प्रवीण नरेन्द्र वल्द शंकरलाल बेडरे जाति पवार सा० देह	84/2	4.365	0.068
3	नागेन्द्र कुमार आनंद कुमार नंदकिशोर कृष्ण कुमार वल्द गया प्रसाद मंशा बेवा बजेन्द्र कुमार वल्द बजेन्द्र कुमार सुमन, सुनीति पिता गयाप्रसाद मेहतो जातिकुर्मी नि० शाहपुर	83	0.829	0.199
4	प्रेमलताबाई जौजे संतोष जाति गौली नि० रातामाटी	75/1	1.407	0.005
5	अर्चना बेवा कन्हैया गर्व वल्द कन्हैया नाबा. महिमा पिता कन्हैया नाबा. वली माँ अर्चना बेवा कन्हैया	74/1	0.388	0.149
6	प्रेमलताबाई जौजे संतोष जाति गौली नि० रातामाटी	73	1.449	0.056
योग			14.291	0.670

2- चूँकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र. 10-अ-82-17-18-खकरा कोयलारी-5356

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि अर्जन हेतु, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची -1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	खकरा कोयलारी	0.153	ईटारसी-नागपुर, तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	नत्थू फत्तेसिंह मुन्ना वल्द झबली मिठिया पुत्री झबली रामसू झामसिंग वल्द फगन जाति गोंड सा० देह	12	1.197	0.076
2	मंगू वल्द सुखराम जाति गोंड सा० देह	13	0.999	0.077
योग			2.196	0.153

2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र. 13-अ-82-17-18-नांदू-5357

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	घोडाडोंगरी	नान्दू	0.579	ईटारसी-नागपुर, तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	भंगी वल्द झुम्मक जाति गोंड सा० घोडाडोंगरी	82	1.526	0.083
2	भंगीलाल गज्जू वल्द झुम्मक गोंड सा० अनकावाडी	83	1.497	0.039
3	सालक वल्द माडू गोंड सा० घोडाडोंगरी	85	0.837	0.054
4	सेवाराम वल्द महादेव जाति अ०जा० सा० देह	86	1.546	0.004
5	सालक वल्द माडू जाति गोंड सा० घोडाडोंगरी	87	0.267	0.023
6	सालक वल्द माडू जाति गोंड सा० घोडाडोंगरी	90/1	1.214	0.066
7	मुन्नालाल वल्द वक्कू जाति कोरकू जग्गू वल्द वक्कू जाति कोरकू	98/1, 98/2	0.193 0.194	0.024
8	माडु वल्द भददू वक्कू सुदिया बेवा रामचरण वल्द मंगल जाति कोरकू सा० देह	123/1	0.099	0.009
9	उमेश दिलीप वल्द मंगू जाति कोरकू सा० देह	124/2	0.062	0.013
10	मुलिया पिता भददू रमेश सुरेश पिल्लू गणेश, दिनेश वल्द तुलसीराम शकुन सीमा पिता तुलसीराम जाति कोरकू सा० देह	124/1	0.063	0.012
11	नरेन्द्र वल्द सीताराम जाति अ०जा० सा० देह	125/2	0.046	0.042
12	फतिमा बेगम वल्द शेख ईमाम जाति मुसलमान सा० देह	141	1.344	0.035

13	इकबाल शकील फिरोज जुमदरशाहिद वल्द अब्दुल हसीब जाति मुसलमान चिन्धु व भादया जाति अ०जा० सा० देह	155/2,	0.789	0.130
	चिन्धु व भादया जाति अ०जा० सा० देह	155/3	2.023	
14	चितिया जौ फुंदुलाल जाति कोरकू सा० देह	146	0.148	0.011
15	रामलाल रामदयाल व मंगलू कारी बेवा मंगलू जाति कोरकू सा० देह	147	0.263	0.016
16	रामलाल वल्द मंगल भीला बेवा सुकू जाति कोरकू सा० देह	148	0.344	0.018
17	इकबाल वल्द अब्दुल हसील सा० देह		आबादी	एक कच्चा मकान
योग			12.455	0.579

2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र. 04-अ-82-17-18-चिखल्दाखुर्द-5358

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	शाहपुर	चिखल्दा खुर्द	0.406	ईटारसी-नागपुर, तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	सेवकराम वल्द नानकराम, आशा, रुकमणी पिता नानकराम, सुन्दरबाई बेवा ओमकार, कमला, त्रिवेणी पुत्री ओमकार आशा बेवा कान्ती, गोलू, सूरज, मोहनी, नाबा वल्द कान्ती वली मां आशा बेवा कान्तीलाल कीर जाति कीर सा० देह	132/2	0.211	0.015

2	प्रहलाद वल्द बालमुकुन्द, रज्जो, मरी, जयवंती पिता बालमुकुन्द, जाति अ0जा0 सा0देह	121/1	0.538	
	अजुददी बेवा मुकुन्दी, महेश, दिनेश, सुशीला, दुजिया वल्द मुकुन्दी जाति अ0जा0 सा0 देह	121/2	0.538	0.086
3	लुथियाबाई बेवा भैयालाल, रामभरोस,रामाधार, अशोक, राजेश, वल्द भैयालाल गुलता, इन्द्रवति, उर्मिला, पिता भैयालाल सुनिता बेवा राकेश, रिन्कू वल्द राकेश, सोहित ना बा वल्द राकेश, प्रीति, प्रियंका, ना बा पिता राकेश वली मां सुनिता बेवा राकेश सा0 देह	120	0.077	0.004
4	बाबूलाल वल्द ठप्पू गोंड सा0 देह	118	0.235	0.007
5	सुर्यकांत वल्द मिश्रीलाल जाति सोनी सा0 देह	116	3.015	0.113
6	कैलाश वल्द शंकरलाल जाति गौली सा0 देह	96	1.113	0.108
7	कैलाश वल्द शंकरलाल जाति गौली सा0 देह	94	0.162	0.051
8	भागवती बेवा बाबूलाल, लक्ष्मीनारायण, देवनारायण, जीवनलाल, प्रेमवती, मीरा, गीता वल्द बाबूलाल जाति कीर सा0 देह	92	0.113	0.022
योग			6.002	0.406

2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र. 05-अ-82-17-18-कुण्डी-5359

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची -1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल(हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	शाहपुर	कुण्डी	0.758	ईटारसी -नागपुर, तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र०	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल र० हे०	अर्जित भूमि का रक० हे०
1	2	3	4	5
1	फूलसिंग वल्द धन्नु सिंग गोंड सा० देह	602	1.181	0.010
2	इलाशवती बेवा बलीराम विजन वल्द बलीराम, श्रीराम वल्द बिहारी, सतलाल वल्द बिहारी सा. देह	603	2.157	0.050
3	भूता, चमन, बालकसिंग वल्द छन्नूलाल जाति गोंड जामुनढाना	516	0.129	0.028
4	स्वदेश वल्द प्रेमलाल गोंड सा० देह	517	2.659	0.113
5	मस्तान सिंह वल्द मोतीलाल जाति गोंड	287/1	0.611	0.027
6	महेश कुमार, संजय कुमार वल्द भगवंतराव, आशाबाई, सुधाबाई, पुत्री भगवंतराव, कौशल्याबाई बवो भगवंतराव कुन्बी सा. देह	282	2.217	0.202
7	कैलाश, मनोज वल्द बाबूराव संजय कुमार वल्द भगवंतराव सा० देह	280	0.530	0.059
8	जमनाबाई बेवा सुकलू तुलसी, बल्ली, व०सुकलू सूलन बेवा बलवीर, देवेन्द्र, पंकज, नाबाव० बलवीर, देवेन्द्र, पंकज, ना बा व० बलवीर वली मां सूलन जाति गोंड सा० देह	279	0.166	0.053
9	भूरा, कन्नु, मन्नु खुड्डा वल्द भूता सा० देह	149/1	0.738	0.144
10	सोहमतसिंग, ईश्वरसिंग व० अम्मू, देवकीलाल व० पतल, सा० देह	156	0.223	0.072
योग			10.611	0.758

2- चूँकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 24 जून 2019

क्रमांक 241-भू-अर्जन-2019.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

" अनुसूची "

1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) नगर/ग्राम	-	मटिहनी ✓
(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	निजी रकवा 1.283 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	451 ✓	0.200 ✓	मु. गेदकली वेवा सनत कुमार 1/2 प्रमोद कुमार पिता सनत कुमार विनोद अंजनी पिता सनत कुमार
2	425 ✓	0.030 ✓	मु. गेदकली वेवा सनत कुमार प्रमोद पिता सनत कुमार विनोद विनीत कुमार पिता सनत कुमार
3	445 ✓	0.120 ✓	रामसिया राम पिता गप्पू राम 1/4 हरिहर पिता भोलाराम गेदकली वेवा सनत कुमार 1/4 जगदीश प्रसाद रूकमणी राम गुंजेश्वरी प्रसाद पिता चंद्रशेखर राम 1/4 अनंत प्रसाद अरुण कुमार अनिरुद्ध कुमार पिता कैलाश राम दुर्घटिया वेवा कैलाश राम 1/4
4	443 ✓	0.210 ✓	रामसिया राम पिता गप्पू राम 1/4 हरिहर पिता भोलाराम गेदकली वेवा सनत कुमार 1/4 जगदीश प्रसाद रूकमणी राम गुंजेश्वरी प्रसाद पिता चंद्रशेखर राम 1/4 अनंत प्रसाद अरुण कुमार अनिरुद्ध कुमार पिता कैलाश राम दुर्घटिया वेवा कैलाश राम 1/4
5	442 ✓	0.090 ✓	रावेन्द्र बृजेन्द्र पिता द्वारिका संजय पिता द्वारिका ना. माता शकुन्तला वेवा द्वारिका 267/660 भाग रविनन्दन पिता लक्ष्मिन कुसुमकली वेवा भगवत शेषमणि राममणि राजेन्द्र पिता भगवत लालमणि छोटेलाल रामनरेश पिता बैजनाथ मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ 267/660 हीरालाल छोटेलाल पिता रामबहोर 36/660 मु. मोतिरनिया वेवा शिवप्रसाद राजेन्द्र हीरा सुरेश पिता शिवप्रसाद 89/660 तेली
6	457 ✓	0.060 ✓	रावेन्द्र बृजेन्द्र पिता द्वारिका संजय पिता द्वारिका ना. माता शकुन्तला वेवा द्वारिका 267/660 भाग रविनन्दन पिता लक्ष्मिन कुसुमकली वेवा भगवत शेषमणि राममणि राजेन्द्र पिता भगवत लालमणि छोटेलाल रामनरेश पिता बैजनाथ मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ 267/660 हीरालाल छोटेलाल पिता रामबहोर 36/660 मु. मोतिरनिया वेवा शिवप्रसाद राजेन्द्र हीरा सुरेश पिता शिवप्रसाद 89/660 तेली
7	441 ✓	0.010 ✓	रावेन्द्र बृजेन्द्र पिता द्वारिका संजय पिता द्वारिका ना. माता शकुन्तला वेवा द्वारिका 267/660 भाग रविनन्दन पिता लक्ष्मिन कुसुमकली वेवा भगवत शेषमणि राममणि राजेन्द्र पिता भगवत लालमणि छोटेलाल रामनरेश पिता बैजनाथ मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ 267/660 हीरालाल छोटेलाल पिता रामबहोर 36/660 मु. मोतिरनिया वेवा शिवप्रसाद राजेन्द्र हीरा सुरेश पिता शिवप्रसाद 89/660 तेली
8	462 ✓	0.040 ✓	रावेन्द्र बृजेन्द्र पिता द्वारिका संजय पिता द्वारिका ना. माता शकुन्तला वेवा द्वारिका 267/660 भाग रविनन्दन पिता लक्ष्मिन कुसुमकली वेवा भगवत शेषमणि राममणि राजेन्द्र पिता भगवत लालमणि छोटेलाल रामनरेश पिता बैजनाथ मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ 267/660 हीरालाल छोटेलाल पिता रामबहोर 36/660 मु. मोतिरनिया वेवा शिवप्रसाद राजेन्द्र हीरा सुरेश पिता शिवप्रसाद 89/660 तेली
9	461 ✓	0.030 ✓	रावेन्द्र बृजेन्द्र पिता द्वारिका संजय पिता द्वारिका ना. माता शकुन्तला वेवा द्वारिका 267/660 भाग रविनन्दन पिता लक्ष्मिन कुसुमकली वेवा भगवत

			शेषमणि राममणि राजेन्द्र पिता भगवत लालमणि छोटेलाल रामनरेश पिता बैजनाथ मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ 267/660 हीरालाल छोटेलाल पिता रामबहोर 36/660 मु. मोतिरनिया वेवा शिवप्रसाद राजेन्द्र हीरा सुरेश पिता शिवप्रसाद 89/660 तेली
10	538 ✓	0.020 ✓	रावेन्द्र बृजेन्द्र पिता द्वारिका संजय पिता द्वारिका ना. माता शकुन्तला वेवा द्वारिका 267/660 भाग रविनन्दन पिता लक्ष्मिन कुसुमकली वेवा भगवत शेषमणि राममणि राजेन्द्र पिता भगवत लालमणि छोटेलाल रामनरेश पिता बैजनाथ मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ 267/660 हीरालाल छोटेलाल पिता रामबहोर 36/660 मु. मोतिरनिया वेवा शिवप्रसाद राजेन्द्र हीरा सुरेश पिता शिवप्रसाद 89/660 तेली
11	539 ✓	0.050 ✓	लल्ला पिता भगोले साहू
12	529 ✓	0.080 ✓	रघुनन्दन पिता लक्ष्मिन गेदिया वेवा लक्ष्मिन मंगला शकुन्तला बहू पुत्री गल्ली तेली मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ लालमणि छोटे रामनरेश बुधनी मुफ्डी सखुली पिता बैजनाथ कुसुमकली वेवा भगवत शेषमणि राममणि राजेश पिता भगवत श्यामवती सावित्री गुड्डू सीता मुनिया आशा पिता भगवत ब्रा.
13	525/1 ✓	0.070 ✓	अरुण कुमार पिता कैलाश राम ब्रा.
14	528 ✓	0.260 ✓	अनंत प्रसाद अरुण कुमार अनुरुद्ध कुमार पिता कैलाश राम दुर्गाटिया वेवा कैलाश राम ब्रा.
15	527/1 ✓	0.010 ✓	अरुण कुमार पिता कैलाश राम ब्रा.
16	540/1 ✓	0.003 ✓	रावेन्द्र बृजेन्द्र पिता द्वारिका संजय पिता द्वारिका ना. माता शकुन्तला वेवा द्वारिका 267/660 भाग रविनन्दन पिता लक्ष्मिन कुसुमकली वेवा भगवत शेषमणि राममणि राजेन्द्र पिता भगवत लालमणि छोटेलाल रामनरेश पिता बैजनाथ मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ 267/660 हीरालाल छोटेलाल पिता रामबहोर 36/660 मु. मोतिरनिया वेवा शिवप्रसाद राजेन्द्र हीरा सुरेश पिता शिवप्रसाद 89/660 तेली
17	540/2 ✓		वंशपति पिता रामबहोर साहू
18	540/3 ✓		लखपति पिता रामबहोर साहू
19	540/4 ✓		मु. सुखरजुआ वेवा रामबहोर
	19 किता ✓		1.283 ha ✓

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (दायी तरफ) के निर्माण हेतु।
- भूमि नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 243/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - भनमार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1.521 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	368	0.032	राधाकृष्ण पिता हरिशंकर राम
2	369	0.070	राधाकृष्ण पिता हरिशंकर राम
3	365	0.060	बृजेन्द्र प्रसाद वेदमणि देवेन्द्र प्रसाद पिता नरहर प्रसाद सनत कुमार आगमानन्द सतीष कुमार पाति हरिहर राम मु. पार्वती वेवा हरिहर राम सुरेन्द्र प्रसाद गजानन प्रसाद शान्ती कलावती सुमित्रा सत्यवती पिता हरिशचन्द्र 1/3 रमागोविन्द पिता लक्ष्मण प्रसाद मु. मुनगी वेवा लक्ष्मण 1/3 सरस्वती कमलेश पिता बृन्दावन 1/3
4	363	0.036	राममणि पिता लालाराम रमानिवास आनन्द पिता नारेन्द्र प्रसाद मु. प्रेमवती वेवा अंजनी प्रसाद मुक्ता मंजू पिता अंजनी प्रसाद मु. गीता वेवा मोहन प्रसाद उपेन्द्र पुष्पेन्द्र पिता मोहन प्रसाद ब्रा.
5	362	0.024	राधाकृष्ण पिता हरिशंकर राम
6	361	0.010	मुराधा पति शिवशंकर रजनीश तरुणेन्द्र शिवेश शिरेश पिता शिवशंकर रुद्रशंकर पिता सुरेश रमाशंकर कृपाशंकर पिता नरेश मु. वेवा नरेश 1/2 दिवाकर बृजभूषण हीरालाल पिता मकसूदन 1/2
7	360/1	0.007	राधाकृष्ण पिता हरिशंकर राम
8	359	0.002	राधाकृष्ण पिता हरिशंकर राम
9	348	0.010	बृजेन्द्र प्रसाद वेदमणि देवेन्द्र प्रसाद पिता नरहर प्रसाद सनत कुमार आगमानन्द सतीष कुमार पाति हरिहर राम मु. पार्वती वेवा हरिहर राम सुरेन्द्र प्रसाद गजानन प्रसाद शान्ती कलावती सुमित्रा सत्यवती पिता हरिशचन्द्र 1/3 रमागोविन्द पिता लक्ष्मण प्रसाद मु. मुनगी वेवा लक्ष्मण 1/3 सरस्वती कमलेश पिता बृन्दावन 1/3
10	355	0.010	चम्पा सिंह वेवा मटुकधारी सिंह महेन्द्र सिंह पिता मटुकधारी सिंह 1/2 बुद्धिमान सिंह शुभकरण सिंह प्रभात सिंह सुभाष सिंह पिता तिलकाधारी सिंह रामधारी पिता गैवी सिंह 1/2
11	352	0.001	राममनोरथ पिता अवधराम ब्रा. 1/3 शैलेन्द्र कुमार पिता राममनोरथ 1/3 नीरज कुमार पिता अवधराम 1/3
12	354	0.005	बाकेलाल सिंह पिता लोलर सिंह
13	356	0.026	राममनोरथ पिता अवधराम ब्रा. 1/3 शैलेन्द्र कुमार पिता राममनोरथ 1/3 नीरज कुमार पिता अवधराम 1/3
14	349	0.090	शिव प्रसाद श्रीलाल पिता मैकू तेली रामलाल छोटन बाके पिता केदारराम मु. जयवतिया वेवा त्रिभुराम मोतीलाल पिता त्रिभुराम ब्रा.
15	350	0.090	राममनोरथ पिता अवधराम ब्रा. 1/3 शैलेन्द्र कुमार पिता राममनोरथ 1/3 नीरज कुमार पिता अवधराम 1/3
16	327	0.020	राममनोरथ पिता अवधराम ब्रा. 1/3 शैलेन्द्र कुमार पिता राममनोरथ 1/3 नीरज कुमार पिता अवधराम 1/3
17	324	0.060	बैजनाथ सीताशरण पिता मोहनराम मणिराज सिंह गुजेश्वरी सिंह पिता कलन्दर

			सिंह 1/2 रामनारायण पिता शिव वकस सिंह धर्मा चम्पा अन्नू तारा पिता बृजभान सिंह मु. फूलकली वेवा बृजभान सिंह
18	325 ✓	0.040 ✓	बृजेन्द्र सिंह देवेन्द्र सिंह धीरेन्द्र सिंह पिता राजबहादुर सिंह मु. अंजना सिंह वेवा रावेन्द्र सिंह दिव्यराज सिंह पिता रावेन्द्र सिंह चन्देल
19	262 ✓	0.025 ✓	बृजेन्द्र सिंह देवेन्द्र सिंह धीरेन्द्र सिंह पिता राजबहादुर सिंह मु. अंजना सिंह वेवा रावेन्द्र सिंह दिव्यराज सिंह पिता रावेन्द्र सिंह चन्देल
20	261 ✓	0.080 ✓	चम्पा सिंह वेवा मटुकधारी सिंह महेन्द्र सिंह पिता मटुकधारी सिंह 1/2 बुद्धिमान सिंह शुभकरण सिंह प्रभात सिंह सुभाष सिंह पिता तिलकाधारी सिंह रामधारी पिता गैवी सिंह 1/2
21	263 ✓	0.020 ✓	बैजनाथ सीताशरण पिता मोहनराम मणिराज सिंह गुजेश्वरी सिंह पिता कलन्दर सिंह 1/2 रामनारायण पिता शिव वकस सिंह धर्मा चम्पा अन्नू तारा पिता बृजभान सिंह मु. फूलकली वेवा बृजभान सिंह
22	264 ✓	0.020 ✓	चम्पा सिंह वेवा मटुकधारी सिंह महेन्द्र सिंह पिता मटुकधारी सिंह 1/2 बुद्धिमान सिंह शुभकरण सिंह प्रभात सिंह सुभाष सिंह पिता तिलकाधारी सिंह रामधारी पिता गैवी सिंह 1/2
23	265 ✓	0.004 ✓	बृजेन्द्र सिंह देवेन्द्र सिंह धीरेन्द्र सिंह पिता राजबहादुर सिंह मु. अंजना सिंह वेवा रावेन्द्र सिंह दिव्यराज सिंह पिता रावेन्द्र सिंह चन्देल
24	266 ✓	0.001 ✓	भाईलाल पिता गजाधरराम ब्रा.
25	260 ✓	0.110 ✓	कुशलेन्द्र बहादुर सिंह पिता बाकेलाल सिंह चन्देल
26	357 ✓	0.029 ✓	मु.छोटी पत्नी सुखदेव तेली
27	256 ✓	0.012 ✓	दादूलाल पिता रणबहादुर सिंह
28	255 ✓	0.005 ✓	कुशलेन्द्र बहादुर सिंह पिता बाकेलाल सिंह चन्देल
29	258/1 ✓	0.008 ✓	दादूलाल पिता रणबहादुर सिंह
30	250 ✓	0.110 ✓	राममनोरथ पिता अवधराम ब्रा. 1/3 शैलेन्द्र कुमार पिता राममनोरथ 1/3 नीरज कुमार पिता अवधराम 1/3 हीरामणि पिता कैलाश तेली महेन्द्र सिंह पिता मणिराज सिंह
31	216 ✓	0.032 ✓	वंशमणि पिता खेलावन हि 1/2 बैजनाथ पिता देवशरण 1/2 तेली
32	219 ✓	0.030 ✓	रामू सिंह तनय मलिराज सिंह
33	213 ✓	0.001 ✓	रामबहोर बदली तनय धनू 1/4 वंशमणि तनय खेलावन 1/4 बदली साहू पिता धनुआ बुधनी पिता बदली 1/2
34	217 ✓	0.045 ✓	वंशमणि पिता खेलावन हि 0.03 राधाकृष्ण पिता हरिशंकर राम ब्रा बैजनाथ पिता देवशरण तेली
35	212 ✓	0.080 ✓	सुखेन्द्र राम पिता उजागर राम ना मा 1/2 निबसुआ वेवा उजागर राम
36	203 ✓	0.070 ✓	सुखेन्द्र राम पिता उजागर राम ना मा 1/2 निबसुआ वेवा उजागर राम
37	205/1 ✓	0.070 ✓	मु.सुवरनिया वेवा शोभनाथ रामनाथ रामचरण पिता शोभनाथ तेली
38	205/2 ✓		मु.छोटी पत्नी सुखदेव
39	206 ✓	0.008 ✓	बैजनाथ सीताशरण पिता मोहनराम मणिराज सिंह गुजेश्वरी सिंह पिता कलन्दर सिंह 1/2 रामनारायण पिता शिव वकस सिंह धर्मा चम्पा अन्नू तारा पिता बृजभान सिंह मु. फूलकली वेवा बृजभान सिंह
40	204 ✓	0.012 ✓	मु.महरनिया वेवा मोहनराम बैजनाथ सीताशरण पिता मोहनराम द्विवेदी 1/4 भाग वंशमणि तनय खेलावन 1/4 मु. महरनिया वेवा मोहनराम बैजनाथ सीताशरण तनय मोहनराम द्विवेदी 1/2
41	202 ✓	0.001 ✓	वंशमणि पिता खेलावन 1/2 राधाकृष्ण पिता हरिशंकर राम ब्रा. 1/2
42	257 ✓	0.045 ✓	कुशलेन्द्र बहादुर सिंह पिता बाकेलाल सिंह चन्देल
43	215 ✓	0.020 ✓	वंशमणि पिता खेलावन 1/2 बैजनाथ पिता देवशरण 1/2 तेली
44	358 ✓	0.040 ✓	भाईलाल पिता गजाधरराम ब्रा.
45	364 ✓	0.050 ✓	राममनोरथ पिता अवधराम 1/3 शैलेन्द्र कुमार पिता राममनोरथ 1/3 नीरज कुमार पिता राममनोरथ 1/3
Total	45 किता ✓	1.521 ha. ✓	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 215/भू-अर्जन/2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - अमडिहा ✓
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1.274 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	113/	0.028/	बाबूलाल गोविन्द गोपाल पिता वीरभान दर्जी
2	95/	0.001/	रामबहोर गुलाब पेशनी काशी बृजेन्द्र पिता जगदीशराम ब्रा.
3	90/1/	0.130/	रामचन्द्र पिता रामप्रताप
4	129/	0.003/	हिन्छपति पिता बैजनाथ 1/3 बुद्धी पिता जुरा 1/9 रामनाथ पिता मंगल 1/3 हिन्छपति पिता बैजनाथ 2/9 कुम्हार
5	120/	0.100/	मु. मुगिया पति पुसई भोला गंगा मुन्ना पिता पुसई रामप्रताप छोटेलाल पिता वंभोली मु. लल्ली वेवा गोपाल राजेन्द्र पिता गोपाल मु. चमेलिया वेवा लल्लू सुनील अनिल पिता लल्लू मु. जोगिली वेवा मुइबा 1/2 जमुना बड़का छोटकरु पिता रघुवीर 1/2 तेली
6	118/1/	0.044/	मुण्डा पिता बलखंडी तेली
7	106/	0.007/	अगनु प्रताप कृपाल पिता बेलहरी लोहार 1/2
8	115/	0.080/	मु. सुमित्रा वेवा गंगा मनीष कुमार सतीष कुमार रहीष कुमार पिता गंगा ब्रा.
9	114/	0.030/	बाबूलाल हि. 0.125 हे. गोपाल पिता वीरभान दर्जी
10	109/1/	0.040/	बाबूलाल हि. 0.125 हे. गोपाल पिता वीरभान दर्जी
11	124/	0.088/	श्रीमती सावित्री वेवा अम्बिका प्रसाद रामानुग्रह ना.बा. पिता अम्बिका प्रसाद सर. माता सावित्री ब्रा.
12	499/1/		गोपाल लाले पिता जगतधारी चमार
13	499/2/	0.028/	रिन्कू पिन्दू राजू पिता लल्लू मुसुकली वेवा लल्लू रघुनन्दन पिता केरा धनिया वेवा कैरा निछा सिपहिया पिता सुजुं मु. गुजरतिया वेवा सुजुं चमार
14	498/1/	0.140/	मु. सुमित्रा वेवा गंगा मनीष कुमार सतीष कुमार रहीष कुमार पिता गंगा ब्रा.
15	497/	0.060/	मु.अईतवरिया वेवा गंगा बबूलाल शोभानाथ बृहस्पति पिता गंगा मु. पार्वती वेवा रामप्रताप 1/24 भालू पिता रघुवर 1/24 हिन्छा पिता दुलारे 1/6 ददन राजबहोर छोटा पिता कन्धई 1/6 हनुमान पिता दूलम 1/24 कैलाश पिता धनपति 1/24 मुकुन्दी लल्ला छंगू गुलाबी बूटी पिता कंजा तुलसी छोटकानी पिता झुरु विशाले पिता चिड़डा हिन्छरजुआ वेवा चिड़डा 1/12 छोटा पिता गजाधर 1/24 बेलहरी पिता मुइऊ बाबा रामलाल रामजी पिता लहरी 1/24 बाबूलाल गोपाल पिता वीरभान दर्जी 1/3
16	496/1/	0.076/	मु.अईतवरिया वेवा गंगा बबूलाल शोभानाथ बृहस्पति पिता गंगा मु. पार्वती वेवा रामप्रताप 1/24 भालू पिता रघुवर 1/24 हिन्छा पिता दुलारे 1/6 ददन राजबहोर छोटा पिता कन्धई 1/6 हनुमान पिता दूलम 1/24 कैलाश पिता धनपति 1/24 मुकुन्दी लल्ला छंगू गुलाबी बूटी पिता कंजा तुलसी छोटकानी पिता झुरु विशाले पिता चिड़डा हिन्छरजुआ वेवा चिड़डा 1/12 छोटा पिता गजाधर 1/24 बेलहरी पिता मुइऊ बाबा रामलाल रामजी पिता लहरी 1/24 बाबूलाल गोपाल पिता वीरभान दर्जी 1/3
17	490/	0.070/	बैजनाथ राम पिता विसुनाथ राम

18	491 ✓	0.024 ✓	मु. महेशिया पत्नी जगदीश राम दामोदर प्रसाद श्यामलाल रामलखन पिता जगदीश सुखवी मुन्नी पिता जगदीश राम किरण देवी पुत्री चूड़ामणि 1/2 रामप्रसाद पिता रघुनाथ राम ब्रा. 1/2
19	492 ✓	0.023 ✓	मु. महेशिया पत्नी जगदीश राम दामोदर प्रसाद श्यामलाल रामलखन पिता जगदीश सुखवी मुन्नी पिता जगदीश राम किरण देवी पुत्री चूड़ामणि 1/2 रामप्रसाद पिता रघुनाथ राम ब्रा. 1/2
20	493 ✓	0.010 ✓	हीरामणि पिता ठाकुरदीन साहू 1/2 छोटा पिता कन्धई साहू
21	486 ✓	0.260 ✓	मु. एतवरिया वेवा गंगा बाबूलाल शोभानाथ बृहस्पति पिता गंगा मु. पार्वती वेवा रामप्रताप मलुआ पिता रघुवर 1/2 हिन्डवा पिता दुलारे 1/2 तेली
22	110 ✓	0.032 ✓	कोटा पिता कन्धई तेली
	22 किता ✓	1.274 Ha. ✓	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 2117/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - बैरिहा पैपखरा/
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.400 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	77 ✓	0.120 ✓	मु.वेवा तारा सिंह पत्नी अशोक कुमार सिंह बिपिन कुमार कामेस्वर सिंह मनीश कुमार रजनीश कुमार सिंह पिता अशोक सिंह चन्द्रवली सिंह कृष्णकुमार सिंह वीरेन्द्र सिंह मुन्नी सिंह भोले सिंह राकेश कुमार सिंह राजेश कुमार सिंह पिता बैकुण्ठ बहादुर सिंह
2	83 ✓	0.120 ✓	राजेश कुमार विकास कुमार पिता रविनाथ राम ब्रा.
3	86 ✓	0.160 ✓	राजेश कुमार विकास कुमार पिता रविनाथ राम ब्रा.
Total	3 किता ✓	0.400 Ha. ✓	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 2119/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - गोड़ाही ✓
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.584 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	1005/	0.074/	रामलाल बृजलाल जैतुनिया सूर्यवती पिता राजमणि रामकुमार पिता रामभजन काछी
2	1004/	0.035/	रामलाल बृजलाल जैतुनिया सूर्यवती पिता राजमणि रामकुमार पिता रामभजन काछी
3	1013/	0.020/	मोहन पिता ददई
4	1007/3/	0.018/	मोहन पिता ददई
5	1012/	0.003/	मोहन पिता ददई
6	1011/2/	0.044/	मोहन पिता ददई
7	1011/1/	0.100/	रामाधार पिता ददई काछी
8	1010/	0.018/	रामाधार पिता ददई काछी
9	1021/	0.080/	रामलाल बृजलाल जैतुनिया सूर्यवती पिता राजमणि रामकुमार पिता रामभजन काछी
10	1020/	0.164/	रामलाल बृजलाल जैतुनिया सूर्यवती पिता राजमणि रामकुमार पिता रामभजन काछी
11	1026/	0.020/	रामलाल बृजलाल जैतुनिया सूर्यवती पिता राजमणि रामकुमार पिता रामभजन काछी
12	1023/	0.004/	रामलाल बृजलाल जैतुनिया सूर्यवती पिता राजमणि रामकुमार पिता रामभजन काछी
13	1019/1	0.004/	राजमणि पिता सहदेव मांतीलाल हिन्छलाल भाईलाल सवाईलाल सत्यलाल पिता बृजमान सिताव वेवा केमला राजेश दिनेश पिता केमला अहिर
Total	13 किता ✓	0.584 ha ✓	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु.

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.

क्रमांक 251/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
(ख) तहसील - बहरी
(ग) नगर/ग्राम - पड़रिया ✓
(घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.470 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	261 ✓	0.050 ✓	रामसिया पिता गप्पूराम ब्रा.
2	256 ✓	0.190 ✓	अनुगामी प्रसाद पिता दुदिलराम
3	265 ✓	0.080 ✓	रामसिया पिता गप्पूराम ब्रा.
4	262 ✓	0.090 ✓	रामसिया पिता गप्पूराम ब्रा.
5	264 ✓	0.060 ✓	अनुगामी प्रसाद पिता दुदिलराम
Total	5 किता ✓	0.470ha ✓	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (दायी तरफ) के निर्माण हेतु।
3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 253/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
(ख) तहसील - बहरी
(ग) नगर/ग्राम - देवगवॉ ✓
(घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.771 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	325 ✓	0.160 ✓	विक्रम सिंह पिता शिवेन्द्र बहादुर सिंह
2	323 ✓	0.001 ✓	शिवेन्द्र बहादुर सिंह पिता कृष्णबहादुर सिंह
3	322 ✓	0.008 ✓	विक्रम सिंह पिता शिवेन्द्र बहादुर सिंह
4	321 ✓	0.064 ✓	विक्रम सिंह पिता शिवेन्द्र बहादुर सिंह
5	320 ✓	0.050 ✓	विक्रम सिंह पिता शिवेन्द्र बहादुर सिंह
6	318 ✓	0.003 ✓	अम्बिकेश सन्तोष लालजी पिता रामझूला मु. मानवती वेवा शम्भूराम केशरी भगवान बाबूलाल प्रदीप पिता सम्भू राम मु शशी वेवा नारायण प्रमोद विनोद पिता नारायण लोलरराम पिता इन्द्रमणि राम 1/2 दिवाकर बृजभूषण हीरालाल पिता मकसूदन 1/2
7	319 ✓	0.010 ✓	अम्बिकेश सन्तोष लालजी पिता रामझूला मु. मानवती वेवा शम्भूराम केशरी भगवान बाबूलाल प्रदीप पिता सम्भू राम मु शशी वेवा नारायण प्रमोद विनोद पिता नारायण लोलरराम पिता इन्द्रमणि राम 1/2 दिवाकर बृजभूषण हीरालाल पिता मकसूदन 1/2

8	316/	0.020/	अम्बिकेश सन्तोष लालजी पिता रामझूला मु. मानवती वेवा शम्भूराम केशरी भगवान बाबूलाल प्रदीप पिता सम्भू राम मु शशी वेवा नारायण प्रमोद विनोद पिता नारायण लोलरराम पिता इन्द्रमणि राम 1/2 दिवाकर बृजभूषण हीरालाल पिता मकसूदन 1/2
9	317/	0.001/	अम्बिकेश सन्तोष लालजी पिता रामझूला मु. मानवती वेवा शम्भूराम केशरी भगवान बाबूलाल प्रदीप पिता सम्भू राम मु शशी वेवा नारायण प्रमोद विनोद पिता नारायण लोलरराम पिता इन्द्रमणि राम 1/2 दिवाकर बृजभूषण हीरालाल पिता मकसूदन 1/2
10	363/	0.004/	मदन प्रताप सिंह पिता तेजबहादुर सिंह चन्देल
11	314/	0.001/	मु. हिन्दरजुआ वेवा हरिशचन्द्र सुरेन्द्र प्रसाद गजानन प्रसाद शान्ती कलावती सुमित्री सत्यवती पिता हरिशचन्द्र नरहर पिता हनुमान 2/9 सनत कुमार आगमानन्द सतीष पिता हरिहर प्रसाद पारवती वेवा हरिहर 1/9 रमागोविन्द पिता लक्ष्मण प्रसाद 1/3 सरस्वती पिता वृन्दावन शिवकली वेवा कमलेश उमेश मुनीश उपेन्द्र पुष्पेन्द्र पिता कमलेश राजकुमारी वेवा प्रवीण विकास प्रकाश पिता प्रवीण मु. आभा वेवा सत्यनारायण शरद प्रासू पिता सत्यनारायण 1/3
12	315/	0.010/	मु. हिन्दरजुआ वेवा हरिशचन्द्र सुरेन्द्र प्रसाद गजानन प्रसाद शान्ती कलावती सुमित्री सत्यवती पिता हरिशचन्द्र नरहर पिता हनुमान 2/9 सनत कुमार आगमानन्द सतीष पिता हरिहर प्रसाद पारवती वेवा हरिहर 1/9 रमागोविन्द पिता लक्ष्मण प्रसाद 1/3 सरस्वती पिता वृन्दावन शिवकली वेवा कमलेश उमेश मुनीश उपेन्द्र पुष्पेन्द्र पिता कमलेश राजकुमारी वेवा प्रवीण विकास प्रकाश पिता प्रवीण मु. आभा वेवा सत्यनारायण शरद प्रासू पिता सत्यनारायण 1/3
13	300/	0.038/	मु. प्रकाश कुमारी वेवा पत्नी कृष्ण प्रताप सिंह अजय सिंह अरुण सिंह अमर सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह चन्देल
14	301/	0.001/	अमर सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह चन्देल
15	362/	0.032/	मदन प्रताप सिंह पिता तेज बहादुर सिंह चन्देल
16	298/	0.070/	विक्रम सिंह पिता शीवेन्द्र बहादुर सिंह
17	364/	0.075/	मदन प्रताप सिंह पिता तेज बहादुर सिंह चन्देल
18	365/	0.160/	नर्वदा पिता प्रयाद 1/2 मथुरा पिता भुवर मकुन्दी जगन्नाथ बाबूलाल मुन्नालाल पिता बुन्दा
19	366/	0.056/	शीवेन्द्र बहादुर सिंह पिता कृष्ण बहादुर सिंह
20	370/	0.001/	शीवेन्द्र बहादुर सिंह पिता कृष्ण बहादुर सिंह
21	299/	0.006/	श्रीमान पिता बहादुर प्रसाद श्रीमती शकुन्ता देवी पति गुन्जेश्वरी प्रसाद गुप्ता
	21 किता/	0.771 ha./	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 855/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
(ख) तहसील - बहरी
(ग) नगर/ग्राम - पैगमा आबाद/✓
(घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.435 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	162/1/	0.160/	जगमोहन सिंह राजाराम सिंह नारेन्द्र सिंह पिता रंगदेव सिंह
2	164/	0.070/	सुद्ध सिंह पिता जुरा सिंह
3	163/	0.055/	मुरामवती वेवा मंगल सिंह किशुन अशोक पिता मंगल सिंह
4	245/	0.110/	बिहारी अभयराज किशुनदार पिता हिन्दलाल सिंह मु. प्रेमवती वेवा रून्दा सिंह सुखेन्द्र सिंह तेजई पिता दददा सिंह
5	244/	0.040/	अमृतलाल राजरूप दालूलाल धर्मराज रणदमन पिता रामचरण सिंह मोड़
Total	5 किता/	0.435 ha./	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (दायी तरफ) के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 957/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - मोहरिया
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1.106 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	322	0.016	कमली देवा शेषमन वीणा सरलकुमारी पिता शेषमन दिवेक कुमार पिता विद्या सागर
2	290	0.016	शेषमणि पिता लालू 16/70 समयलाल लखन रामऔतार लल्लू राधे बड़किया छोटकिया पिता भगवान दीन मु. लल्ली देवा भगवानदीन 8/70 कैलाश पिता मीरू 23/70 मुन्ना पिता सुन्दर केलमा छोटे पिता जगदीश हि 23/70 तेली
3	291/1	0.050	छोटई पिता साधू तेली
4	291/2		लखई पिता साधू
5	273/1	0.002	दशरथ त्रिलोक चन्द्रभान पिता बुद्धू तेली
6	269	0.020	बाबूलाल पिता भगवत 0.46 सुखलाल पिता सुन्दर हि 0.067 लालमन पिता दुलारे हि. 0.046 बाबूलाल पिता भगवत हि. 0.024 छोटकउ पिता दुलारे रामजी पिता लालमन हि. 0.007
7	223/1	0.015	शेषमणि पिता लालू 16/70 समयलाल लखन रामऔतार लल्लू राधे बड़किया छोटकिया पिता भगवान दीन मु. लल्ली देवा भगवानदीन 8/70 कैलाश पिता मीरू 23/70 मुन्ना पिता सुन्दर केलमा छोटे पिता जगदीश हि 23/70 तेली
8	226	0.004	शेषमणि पिता लालू 16/70 समयलाल लखन रामऔतार लल्लू राधे बड़किया छोटकिया पिता भगवान दीन मु. लल्ली देवा भगवानदीन 8/70 कैलाश पिता मीरू 23/70 मुन्ना पिता सुन्दर केलमा छोटे पिता जगदीश हि 23/70 तेली
9	227	0.010	नारेन्द्र प्रसाद पिता सिद्धीमुनी राजेश पिता बैकुण्ठ प्रसाद रामकली देवा बैकुण्ठ 1/4 भाग सुशीला देवी पिता सुमेशराम 1/4 अशोक कुमार पिता गोपालकृष्ण दुबे दत्तकपुत्र धनेसरराम 1/4 मु. सरूपा देवी देवा भीमसेन वासुदेव मनोज कुमार शम्भूलाल पिता भीमसेन मु. आशादेवी देवा शंकरलाल अमित पिता शंकरलाल धर्मावती देवा नन्द कुमार गंगा प्रसाद पिता नन्द कुमार ब्रा. 1/12 शिवलोचन राजीव लोचन पिता बाल्मीकाराम 1/12 मु. फुटनी देवा विश्वामित्र ब्रा.
10	228	0.002	मु. सरूपा देवी देवा भीमसेन मनोज कुमार शम्भूलाल पिता भीमसेन मु. आशादेवी शंकरलाल ओंकार अमित पिता शंकरलाल धर्मावती देवा नंदकुमार गंगाराम पिता नन्दकुमार सिद्धीमुनी पिता महावीर सुमेश्वर पिता महावीर मु. चन्द्रावती देवा धनेसरराम देवेन्द्र बृजेन्द्र पिता भूपनारायण कृष्णगोपाल शुशील पिता राजेश्वरी राम ब्रा.
11	244/1	0.003	मु.शान्ती देवा वनमाली प्रसाद अवधलाल हीरालाल अम्बिका प्रसाद जवाहरलाल राहुल प्रसाद पिता वनमाली प्रसाद रामसिया पिता गप्पूराम काशी प्रसाद पिता हरिहर राम प्रमोद कुमार अंजनी प्रसदा विनोद कुमार पिता सनत कुमार मु. देवा सनत कुमार रूकमणि प्रसाद गुन्जेश्वरी प्रसाद जगदीश प्रसाद पिता चन्द्रशेखर राम लल्ला पिता परमहन्स अनन्त प्रसाद अरूण कुमार अनिरुद्ध कुमार पिता कैलाश राम मु. दुर्घटिया देवा कैलाशराम
12	231	0.004	सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ देवा छोटानी लक्ष्मीकुमार पिता

			छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
13	232	0.016	सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्ष्मीकुमार पिता छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
14	233	0.038	सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्ष्मीकुमार पिता छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
15	235	0.020	भोदल सुखलाल पिता विश्वनाथ मु. सुकुरी वेवा भगवत प्रेमवती बृजमोहन जगमोहन लालजी लालबहादुर पिता भगवत आदित्य पिता रामभजन 1/2 बैजनाथ पिता शिवभजन शिवप्रसाद देवशरण पिता सहदेव साहू 1/2
16	312	0.040	भगवानदास पिता रामबहोर तेली
17	300	0.100	भगवत शोभनाथ पिता विश्राम तेली 1/2 शिवप्रसाद पिता तिलकू 1/2
18	299	0.080	रानी देवी पति लक्ष्मी नारायण लक्ष्मण पिता लक्ष्मीनारायण कौशिल्या देवी पति गोपी चन्द्र अनिज कुमार अजय कुमार अखिलेश अधीष पिता गोपीचन्द्र बृजमोहन पिता बैजनाथ हरिश्चन्द्र पिता बैजनाथ
19	280	0.004	लखई पिता साधू तेली
20	278	0.050	हीरालाल पिता रामधनी हीरामणि पिता रामधनी
21	292	0.016	लखई पिता साधू तेली
22	279	0.010	छोटई पिता साधू तेली
23	277	0.010	छोटई पिता साधू तेली
24	275	0.009	सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्ष्मीकुमार पिता छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
25	274/1	0.040	लखई पिता साधू तेली
26	274/2		हीरालाल पिता रामधनी बैजनाथ हीरामणि पिता रामधनी
27	267	0.030	बाबूलाल पिता भगवत 0.46 सुखलाल पिता सुन्दर हि 0.067 लालमन पिता दुलारे हि. 0.046 बाबूलाल पिता भगवत हि. 0.024 छोटकउ पिता दुलारे रामजी पिता लालमन हिंस 0.007
28	268	0.050	बाबूलाल पिता भगवत 0.46 सुखलाल पिता सुन्दर हि 0.067 लालमन पिता दुलारे हि. 0.046 बाबूलाल पिता भगवत हि. 0.024 छोटकउ पिता दुलारे रामजी पिता लालमन हिंस 0.007
29	265	0.100	बाबूलाल पिता भगवत 0.56 सुखलाल पिता सुन्दर हि 0.025 लालमन पिता दुलारे हि. 0.063 बाबूलाल पिता भगवत हि. 0.032 छोटकउ पिता दुलारे रामजी पिता लालमन हि 0.009 उमाशंकर रमाशंकर पिता भगवानदास 0.015 जगन्नाथ पिता राजबहोर 0.049 उमेश कुमार पिता जमुना 0.015 हे.
30	242	0.050	मुशान्ती वेवा वनमाली प्रसाद अवधलाल हीरालाल अम्बिका प्रसाद जवाहरलाल राहुल प्रसाद पिता वनमाली प्रसाद रामसिया पिता गप्पूराम काशी प्रसाद पिता हरिहर राम प्रमोद कुमार अंजनी प्रसदा विनोद कुमार पिता सनत कुमार मु. वेवा सनत कुमार रुकमणि प्रसाद गुन्जेश्वरी प्रसाद जगदीश प्रसाद पिता चन्द्रशेखर राम लल्ला पिता परमहन्स अनन्त प्रसाद अरुण कुमार अनिरुद्ध कुमार पिता कैलाश राम मु. दुर्घटिया वेवा कैलाशराम
31	241	0.050	सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्ष्मीकुमार पिता छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
32	230	0.040	सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्ष्मीकुमार पिता छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
33	240	0.025	सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्ष्मीकुमार पिता छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
34	239	0.030	सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्ष्मीकुमार पिता छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
35	238	0.060	भोदल सुखलाल पिता विश्वनाथ मु. सुकुरी वेवा भगवत प्रेमवती बृजमोहन जगमोहन लालजी लालबहादुर पिता भगवत आदित्य पिता रामभजन 1/2 बैजनाथ पिता शिवभजन शिवप्रसाद देवशरण पिता सहदेव साहू 1/2
36	237	0.056	भोदल सुखलाल पिता विश्वनाथ मु. सुकुरी वेवा भगवत प्रेमवती बृजमोहन जगमोहन लालजी लालबहादुर पिता भगवत आदित्य पिता रामभजन 1/2 बैजनाथ पिता शिवभजन शिवप्रसाद देवशरण पिता सहदेव साहू 1/2
37	236	0.040	भोदल सुखलाल पिता विश्वनाथ मु. सुकुरी वेवा भगवत प्रेमवती बृजमोहन जगमोहन लालजी लालबहादुर पिता भगवत आदित्य पिता रामभजन 1/2 बैजनाथ पिता शिवभजन शिवप्रसाद देवशरण पिता सहदेव साहू 1/2
	37 कित्ता	1.106 ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 257.../भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) नगर/ग्राम	-	भनमारी ✓
(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	निजी रकवा 1.417 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	723/	0.035/	मुसुकवरिया देवा मैकू रामप्रसाद शिवप्रसाद फत्तेलाल श्रीलाल पिता मैकू तेली
2	725/	0.020/	ईश्वरी प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद शिवदयाल अयोध्या पिता जग्यनारायण मु. देवा देववती पति रामदयाल अरविन्द जीतेन्द्र पिता रामदयाल
3	726/	0.025/	दादूलाल पिता रघुनाथ राम ब्रा.
4	727/	0.001/	दादूलाल पिता रघुनाथ राम ब्रा.
5	729/	0.020/	ईश्वरी प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद शिवदयाल अयोध्या पिता जग्यनारायण मु. देवा देववती पति रामदयाल अरविन्द जीतेन्द्र पिता रामदयाल
6	739/	0.090/	राजेश पिता रामलल्लू ब्रा.
7	743/	0.030/	भाईलाल पिता रघुनाथ राम ब्रा.
8	709/	0.060/	भाईलाल पिता रघुनाथ राम ब्रा.
9	710	0.010	भगवानदीन हनुमान लालजी पिता रामविशाल राम मु. सरमीला वेा सुरेश प्रसाद गौरव पिता सुरेश प्रसाद भूपेन्द्र भोला पिता परमेश्वर मु. देवा परमेश्वर ब्रा.
10	707/	0.070/	चतुर्भुज पिता रामकरण ब्रा.
11	708/	0.025/	चतुर्भुज पिता रामकरण ब्रा.
12	700/	0.001/	बैजनाथ सीताशरण पिता मोहनराम
13	699/	0.070/	श्रीमती महारानी पति मोहनराम ब्रा.
14	679/	0.050/	मुसितविया देवा मकसूदनराम ध्रुवप्रसाद अयोध्या रामायण सतीष पिता मकसूदन राम मु. करुणा देवी देवा अश्वनीराम 1 हि. निर्मला पत्नी दीनदयाल चतुर्वेदी 1/4 राजेन्द्र प्रसाद पिता जग्य नारायण हि 1/3
15	678/	0.060/	मुसोनकली देवा गुन्जेश्वरी प्रसाद हरीनारायण पिता गुन्जेश्वरी प्रसाद
16	680/	0.050/	मुसितविया देवा मकसूदनराम ध्रुवप्रसाद अयोध्या रामायण सतीष पिता मकसूदन राम मु. करुणा देवी देवा अश्वनीराम 1 हि. निर्मला पत्नी दीनदयाल चतुर्वेदी 1/4 राजेन्द्र प्रसाद पिता जग्य नारायण हि 1/3
17	681/	0.030/	त्रिवेणी प्रसाद पिता लक्ष्मिन राम ब्रा.
18	675/	0.001/	अशोक कुमार पिता भिम्मराम ब्रा.
19	682/	0.020/	त्रिवेणी प्रसाद पिता लक्ष्मिन राम ब्रा.
20	674/	0.020/	त्रिवेणी प्रसाद पिता लक्ष्मिन राम ब्रा.
21	673/	0.010/	त्रिवेणी प्रसाद पिता लक्ष्मिन राम ब्रा.
22	469/	0.010/	पवन कुमार पिता दीनबन्धुराम द्विवेदी
23	671/	0.060/	सरस्वती प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद ब्रा.
24	470/	0.110/	द्वारिका प्रसाद पिता शोभनाथ राम ब्रा.
25	473/	0.050/	अभिलाष सतानन्द पिता जोखूराम रामभिलाष सतानन्द पिता जोखूराम लखनी देवा जोखूराम 1/2 रामाश्रय मोतीलाल पिता रामखेलावन मु. हेमिया देवा रामखेलावन श्यामलाल पिता रामसनेही मु. कुसुमकली देवा रामचरन ब्रा.
26	497/	0.020/	सकुन्तला पति सुमन्तराम राजकुमार प्रदुम्न ऋषि कुमार पिता सुमन्तराम रामावतार पिता रामप्रसाद ललइया पिता रामप्रसाद 1/2 राजेन्द्र प्रसाद पिता यज्ञनारायण 1/6 राजेन्द्र प्रसाद पिता यज्ञनारायण 1/3

27	495 ✓	0.107 ✓	सकुन्तला पति सुमन्तराम राजकुमार प्रदुम्न ऋषि कुमार पिता सुमन्तराम रामावतार पिता रामप्रसाद ललइया पिता रामप्रसाद 1/2 राजेन्द्र प्रसाद पिता यज्ञनारायण 1/6 राजेन्द्र प्रसाद पिता यज्ञनारायण 1/3
28	496 ✓	0.060 ✓	रमाशंकर पिता सूर्यमणि 1/3 आशीष कुमार पिता दीनबन्धु राम 1/3 कृष्ण सूर्यमणि पिता ललइराम 1/3
29	510 ✓	0.008 ✓	भागीरथ राम पिता राधिकाराम 1/3 गंगा प्रसाद बुद्धसेनराम तेजा प्रसाद शिव प्रसाद गुरु प्रसाद पिता रामविशालराम 1/3 रावेन्द्र विजय भारत अरविन्द पिता गंगा राम 1/3 तेजा प्रसाद शिवप्रसाद गुरु प्रसाद पिता रामविशालराम मु. फूलकली वेवा गंगा राजेन्द्र शिवप्रसाद पिता रामविशाल 1/3
30	507 ✓	0.060 ✓	भागीरथ राम पिता राधिकाराम 1/3 गंगा प्रसाद बुद्धसेनराम तेजा प्रसाद शिव प्रसाद गुरु प्रसाद पिता रामविशालराम 1/3 रावेन्द्र विजय भारत अरविन्द पिता गंगा राम 1/3 तेजा प्रसाद शिवप्रसाद गुरु प्रसाद पिता रामविशालराम मु. फूलकली वेवा गंगा राजेन्द्र शिवप्रसाद पिता रामविशाल 1/3
31	531 ✓	0.004 ✓	केशवराम पिता हिन्छपती राम मु. जयमनुआ वेवा बैजनाथ राम तेजबली राममिलन सुरेश राजेन्द्र पिता बैजनाथ राम पिता छोटकूराम मु. कलमवती वेवा कालू राजराखन राजकुमार राजेश्वर देवेन्द्र पिता कालू 1/2 ललिता वेवा कैलाश राम रामबहोर रामा रामदस विजय कुमार राजकुमार रामकरण पिता कैलाश 1/2 ब्रा.
32	532 ✓	0.030 ✓	मुललिता वेवा कैलाशराम रामसहोदर रामदरश विजय कुमार राजकुमार राजकरण पिता कैलाश राम मु. रामा वेवा कौशलराम जगन्नाथ शुभम पिता कौशल राम
33	530 ✓	0.015 ✓	रामजतन पिता मंगलराम 1/2 मु. ललिता वेवा कैलाश राम रामसहोदर रामा रामदरश विजयकुमार राजकुमार राजकरण पिता कैलाश राम 1/2
34	540 ✓	0.040 ✓	विनोद कुमार पिता द्वारिका राम ब्रा.
35	529 ✓	0.008 ✓	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री संतोष कुमार द्विवेदी 1/2 रामतेज वीरेन्द्र पिता शिवकुमार 1/2
36	524 ✓	0.001 ✓	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री संतोष कुमार द्विवेदी 1/2 रामतेज वीरेन्द्र पिता शिवकुमार 1/2
37	523 ✓	0.050 ✓	मु.सूर्यकली वेवा शिवकुमार रामतेज वीरेन्द्र लक्ष्मण पिता शिवकुमार राम
38	522 ✓	0.004 ✓	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री संतोष कुमार द्विवेदी 1/2 रामतेज वीरेन्द्र पिता शिवकुमार 1/2
39	520 ✓	0.015 ✓	सरस्वती प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद ब्रा.
40	526 ✓	0.002 ✓	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री संतोष कुमार द्विवेदी 1/2 रामतेज वीरेन्द्र पिता शिवकुमार 1/2
41	527 ✓	0.050 ✓	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री संतोष कुमार द्विवेदी 1/2 रामतेज वीरेन्द्र पिता शिवकुमार 1/2
42	528 ✓	0.015 ✓	मु.सूर्यकली वेवा शिवकुमार रामतेज वीरेन्द्र लक्ष्मण पिता शिवकुमार राम
Total	42 किता ✓	1.417 ha. ✓	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु.
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.

क्रमांक 361/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - बहेरा 685
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1.386 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	114 ✓	0.080 ✓	बसंत लाल छोटेलाल श्यामलाल भीमसेन पिता मनफेर
2	110 ✓	0.020 ✓	रघुवर तनय बैजनाथ लल्लू पिता बैजनाथ
3	111 ✓	0.070 ✓	भोला छोटेलाल सीताराम पिता कैलाश
4	112 ✓	0.030 ✓	रामलखन रामसजीवन राजकुमार रामकुमार पिता भुअरा पुत्री बिट्टी पिता भुअरा
5	113 ✓	0.032 ✓	रामकिशोर पिता पुरचुल मु मुन्नी पति भगवत 1/2 कुइसा पिता छठिलाल 1/2 सविता पति रामकिशोर 1/6
6	104 ✓	0.010 ✓	रामकिशोर पिता पुरचुल मु मुन्नी पति भगवत 1/2 कुइसा पिता छठिलाल 1/2 सविता पति रामकिशोर 1/6
7	105 ✓	0.045 ✓	छोटेलाल ददू पिता छंगू 1/20 श्रीमती भागीरथी पति अशोक रामनरेश चन्द्रशेखर पिता लल्ला 1/20 छंगू लल्ला पिता कंजा 1/15 छोटा पिता गजाधर 1/8 तुलसी छोटकानी बुधनी महुरी सुम्मरिया सुगनी मुन्नी पिता झुरु विशाले पिता चिड्डा 1/2 अजारे बेलहरी कल्ली बूटी पिता मुडवा मु. बोडी पति लहरी बाबा रामलाल रामजी पिता लहरी तेली 1/2
8	106 ✓	0.080 ✓	छोटेलाल ददू पिता छंगू 1/20 श्रीमती भागीरथी पति अशोक रामनरेश चन्द्रशेखर पिता लल्ला 1/20 छंगू लल्ला पिता कंजा 1/15 छोटा पिता गजाधर 1/8 तुलसी छोटकानी बुधनी महुरी सुम्मरिया सुगनी मुन्नी पिता झुरु विशाले पिता चिड्डा 1/2 अजारे बेलहरी कल्ली बूटी पिता मुडवा मु. बोडी पति लहरी बाबा रामलाल रामजी पिता लहरी तेली 1/2
9	88 ✓	0.020 ✓	रामलखन रामसजीवन राजकुमार रामकुमार पिता भुअरा पुत्री बिट्टी पिता भुअरा
10	87 ✓	0.048 ✓	भोला छोटेलाल सीताराम पिता कैलाश
11	82/2 ✓	0.018 ✓	कितुन पिता सुखदेव तेली
12	140 ✓	0.050 ✓	लल्लू पिता बैजनाथ
13	141 ✓	0.044 ✓	अशोक कुमार पिता हनुमान शंखी पति शंभू
14	63 ✓	0.059 ✓	हीरामणि पिता ठाकुरदीन छोटा पिता कन्हई अशोक कुमार पिता हनुमान
15	60 ✓	0.030 ✓	रामलखन रामसजीवन राजकुमार रामकुमार पिता भुअरा पुत्री बिट्टी पिता भुअरा
16	59 ✓	0.030 ✓	भोला छोटेलाल सीताराम पिता कैलाश लल्लू पिता बैजनाथ
17	55 ✓	0.011 ✓	जयकरण शिवचरण अहिवरण लालू पिता कालू 31/100 पप्पू धनपति हीरो बिट्टी पिता कपूरे हीरामणि गुलाब ललुआ पिता भगोले बदली पिता छोटा 23/50 सुखलाल पिता मीरू 23/100
18	56 ✓	0.044 ✓	जयकरण शिवचरण अहिवरण लालू पिता कालू पप्पू धनपति हीरो बिट्टी पिता कपूरे हीरामणि गुलाब ललुआ पिता भगोले बदली पिता छोटा सुखलाल पिता मीरू

19	160	0.005	जयकरण शिवचरण अहिवरण लालू पिता कालू पप्पू धनपति हीरो विट्टी पिता कपूरे हीरामनि गुलाब ललुआ पिता भगोले बदली पिता छोटा सुखलाल पिता मीरू
20	159	0.050	लल्लू रमेश सुरेश पिता राजमणि
21	162	0.030	दुर्घटिया पुत्री दशमति 1/8 सियावती पति लक्षनधारी 2/13 हीरालाल पिता बभोली 7/12 पप्पू पिता हीगलाल 0.09 हे.
22	163	0.035	दुर्घटिया पुत्री दशमति 1/8 सियावती पति लक्षनधारी 2/13 हीरालाल पिता बभोली 7/12 पप्पू पिता हीगलाल 0.09 हे.
23	165	0.052	जयकरण शिवचरण अहिवरण लालू पिता कालू पप्पू धनपति हीरो विट्टी पिता कपूरे हीरामनि गुलाब ललुआ पिता भगोले बदली पिता छोटा सुखलाल पिता मीरू
24	166	0.020	जयकरण शिवचरण अहिवरण लालू पिता कालू पप्पू धनपति हीरो विट्टी पिता कपूरे हीरामनि गुलाब ललुआ पिता भगोले बदली पिता छोटा सुखलाल पिता मीरू
25	176	0.110	ललन भाईलाल पिता सरदार श्रीमती महरजुआ पति भाईलाल माधव लाला पिता लोरिक श्रीमती बतसिया पति रामभिलाष राजमन पिता ददानी तेली
26	275	0.080	लल्लू पिता बैजनाथ भाईलाल पिता सरदार लवकुश पिता सच्चिवतानंद उमाकान्त पिता सच्चिवतानंद
27	305/1	0.030	जयकरण शिवचरण अहिवरण लालू पिता कालू पप्पू धनपति हीरो विट्टी पिता कपूरे हीरामनि गुलाब ललुआ पिता भगोले बदली पिता छोटा सुखलाल पिता मीरू
28	302	0.025	भाईलाल पिता सरदार तेली
29	300	0.058	ललन भाईलाल पिता सरदार श्रीमती महरजुआ पति भाईलाल माधव लाला पिता लोरिक श्रीमती बतसिया पति रामभिलाष राजमन पिता ददानी तेली
30	297	0.020	सुकवरिया पति रामलखन खुशबू पुत्री केमला मुन्ना पिता गल्लू रामभिलाष माधो लाला लोरिक ददानी पिता बच्चू बतसिया पति रामभिलाष राजमन पिता ददानी मु. बाबी पति लल्लू चन्द्रभान नन्दलाल पिता ददन रामबहोर पिता छोटेई
31	299	0.004	चन्द्रभान नंदलाल पिता ददन
32	298	0.028	चन्द्रभान नंदलाल पिता ददन
33	288	0.049	ललन पिता सरदार सुकवरिया पति रामलखन खुशबू पुत्री केमला मुन्ना पिता गल्लू रामभिलाष माधो लाला लोरिक ददानी पिता बच्चू बतसिया पति रामभिलाष राजमन पिता ददानी मु. बाबी पति लल्लू चन्द्रभान नन्दलाल पिता ददन रामबहोर पिता छोटेई
34	164	0.008	दुर्घटिया पुत्री दशमति 1/8 सियावती पति लक्षनधारी 2/13 हीरालाल पिता बभोली 7/12 पप्पू पिता हीगलाल तेली 0.09 हे.
35	175/2	0.020	छोटकानी पिता झरू तेली
36	274	0.001	सोनई पिता मोतीलाल तेली
37	276	0.040	सोनई पिता मोतीलाल तेली
	37 किता	1.386 ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु.

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.

क्रमांक 263/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - पैगमा बीरान
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.860 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	70	0.020	रामसुन्दर पिता मनबहोर सिंह
2	69	0.020	रामसुन्दर पिता मनबहोर सिंह
3	71	0.182	अमृतलाल राजरूप दादूलाल धर्मराज रणदमन पिता रामचरण सिंह
4	72	0.143	रामकरन तनय मनबहोर सिंह
5	73	0.010	रामकरन तनय मनबहोर सिंह
6	77	0.160	राजभान सिंह असुभान सिंह पिता बाबादीन सिंह 1/2 मीरू सिंह पिता छोदू सिंह 1/2
7	76	0.016	राजभान सिंह असुभान सिंह पिता बाबादीन सिंह 1/2 मीरू सिंह पिता छोदू सिंह 1/2
8	80	0.010	राजभान सिंह असुभान सिंह पिता बाबादीन सिंह 1/2 मीरू सिंह पिता छोदू सिंह 1/2
9	74	0.010	राजभान सिंह असुभान सिंह पिता बाबादीन सिंह 1/2 मीरू सिंह पिता छोदू सिंह 1/2
10	82	0.178	सीता देवी पत्नी मुरली मनोहर रविशंकर पिता मुरली मनोहर 25/26 मनोरमा पुत्री मुरली मनोहर 32/226 हि. 1/4 बृजनन्दन प्रसाद बृजकिशोर सीताराम पिता नर्वदेश्वर राम शिवम कुमार पिता हीरामणि पाठक ना.बा.संरक्षिका माता ममता पत्नी हीरामणि 1/4 शम्भू प्रसाद शोभनाथ पिता कौशलेश प्रसाद 1/2
11	85	0.011	सीता देवी पत्नी मुरली मनोहर रविशंकर पिता मुरली मनोहर 25/26 मनोरमा पुत्री मुरली मनोहर 32/226 हि. 1/4 बृजनन्दन प्रसाद बृजकिशोर सीताराम पिता नर्वदेश्वर राम शिवम कुमार पिता हीरामणि पाठक ना.बा.संरक्षिका माता ममता पत्नी हीरामणि 1/4 शम्भू प्रसाद शोभनाथ पिता कौशलेश प्रसाद 1/2
12	83	0.100	बृजमोहन पिता नर्वदेश्वर राम ब्रा. 0.20 एवं अभिराज कुमारी पति वासुदेव शुक्ला 0.20
Total	12 कित्ता	0.860 ha	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु.

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.

क्रमांक 265/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - कचरी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.322 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	47 ✓	0.010 ✓	दिनेन्द्र प्रसाद पिता रामलल्लू राम ब्रा.
2	46 ✓	0.018 ✓	दादूलाल पिता रघुनाथ राम ब्रा.
3	45 ✓	0.050 ✓	सनत कुमार अश्वनीकुमार पिता सुदर्शन राम शान्ति पति सुदर्शनराम ब्रा.
4	41/1 ✓	0.025 ✓	बैजनाथ पिता मोहनराम ब्रा.
5	41/2 ✓	0.025 ✓	सीताशरण पिता मोहनराम ब्रा.
6	41/102 ✓	0.003 ✓	जगदीश प्रसाद पिता भुवनेश्वर प्रसाद ब्रा.
7	42 ✓	0.001 ✓	सनत कुमार अश्वनी कुमार पिता सुदर्शनराम
8	39/1 ✓	0.001 ✓	बैजनाथ पिता मोहनराम ब्रा.
9	39/2 ✓	0.024 ✓	सीताशरण पिता मोहनराम ब्रा.
10	40 ✓	0.002 ✓	जगदीश प्रसाद पिता भुवनेश्वर प्रसाद ब्रा.
11	43/1 ✓	0.024 ✓	बैजनाथ पिता मोहनराम ब्रा.
12	43/2 ✓	0.001 ✓	सीताशरण पिता मोहनराम ब्रा.
13	37 ✓	0.045 ✓	शान्ती पति सुदर्शनराम ब्रा.
14	35 ✓	0.013 ✓	मु.महरनिया वेवा मोहनराम बैजनाथ सीताशरण पिता मोहनराम ब्रा.
15	36 ✓	0.028 ✓	बाबूलाल बलिराम पिता बरमदत्तराम ब्रा. मु. वेवा सकत्तर जयप्रकाश विजय पिता सकत्तर राम राजपती रामदास पिता गुल्लूराम 1/2 ददई राम पिता लालमणि राम 1/2
16	31/1 ✓	0.038 ✓	बैजनाथ राम पिता मोहनराम ब्रा.
17	31/2 ✓	0.010 ✓	सीताशरण पिता मोहनराम ब्रा.
18	30 ✓	0.004 ✓	मु.सोनकली वेवा उदयमान आनन्द पिता उदयमानराम ब्रा.
Total	18 किता ✓	0.322 ha ✓	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु.
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.

क्रमांक 267/भू-अर्जन/2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - चोराही
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 3.277 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	497/	0.090/	रुक्मणी पिता लालमणि
2	495/1/	0.260/	रुक्मणी पिता लालमणि
3	495/2/		ध्रुवकान्त पिता लालमणि
4	495/3/		सूर्यकान्त पिता लालमणि
5	353/	0.160/	सूर्यकान्त पिता लालमणि
6	352/	0.057/	कृष्णमोहन पिता जयकरण सोधिया
7	351/	0.060/	मनीष राहुल कुशल रिकू मीरा पिता भगवानदीन सावित्री देवा भगवान
8	350/	0.045/	ज्ञानेन्द्र कुमार पिता श्यामकार्तिक राम
9	360/	0.012/	रामगोपाल पिता जयकरन शान्ती देवा जयकरण आकाश अक्षय सौरभ अभिषेक मोनिका पूजा पिता शिवगोपाल कैलाशू देवा शिवगोपाल 3/4 राजकुमार उर्फ ददोल पिता कालू यादव 1/4
10	361/1/	0.110/	कृष्णमोहन पिता जयकरण प्रसाद
11	361/2/		आकाश अक्षय सौरभ अभिषेक मोनिका आरती पूजा पिता शिवगोपाल कैलाशुआ देवा शिवगोपाल
12	371/	0.027/	लल्ला पिता शम्भू
13	372/	0.030/	जमाल अहमद गुले सन्तार पिता नूर मोहम्मद
14	354/	0.060/	शान्ती देवा जयकरण 0.09 हे. प्रमोद सन्तोष पिता कृष्णमोहन 0.52
15	503/	0.040/	बाबूलाल पिता प्रयागदत्त राम
16	498/	0.100/	छठिलाल पिता गनपति कहार
17	501/	0.300/	धनपति पिता सुर्जभान कहार
18	508/1/	0.090/	विनीत कुमार विद्याकान्त राम ब्रा.
19	508/2/	0.200/	अयोध्या प्रसाद पिता जगदीश राम ब्रा.
20	509/2/1/	0.100/	विनोद पिता विद्याकान्त
21	509/2/2/		विनीत पिता विद्याकान्त
22	578/	0.165/	राकेश कुमार अनिल कुमार धर्मेन्द्र कुमार पिता प्रद्युमन चन्द्रकली देवा प्रद्युमन ब्रा.
23	579/	0.020/	जनार्दन प्रसाद महेन्द्र प्रसाद पुनीत पिता रघुनाथ राम
24	580/	0.170/	जनार्दन प्रसाद महेन्द्र प्रसाद पुनीत पिता रघुनाथ राम
25	583/1/	0.040/	मुन्नीलाल पिता गप्पूराम ब्रा.
26	583/2/		श्रीकान्त पिता गप्पूराम ब्रा.
27	583/3/		बाबूलाल पिता गप्पूराम ब्रा.
28	583/4/		रामसागर पिता गप्पूराम ब्रा.
29	583/5/		रमाकान्त पिता गप्पूराम ब्रा.
30	569/1/	0.036/	मुन्नीलाल पिता गप्पूराम ब्रा.

31	569/2 ✓		श्रीकान्त पिता गप्पूराम ब्रा.
32	569/3 ✓		बाबूलाल पिता गप्पूराम ब्रा.
33	569/4 ✓		रामसागर पिता गप्पूराम ब्रा.
34	569/5 ✓		रमाकान्त पिता गप्पूराम ब्रा.
35	568/1 ✓	0.038 ✓	मुन्नीलाल पिता गप्पूराम ब्रा.
36	568/2 ✓		श्रीकान्त पिता गप्पूराम ब्रा.
37	568/3 ✓		बाबूलाल पिता गप्पूराम ब्रा.
38	568/4 ✓		रामसागर पिता गप्पूराम ब्रा.
39	568/5 ✓		रमाकान्त पिता गप्पूराम ब्रा.
40	567/1/1 ✓	0.180 ✓	मुन्नीलाल पिता गप्पूराम ब्रा.
41	567/1/2 ✓		श्रीकान्त पिता गप्पूराम ब्रा.
42	567/1/3 ✓		बाबूलाल पिता गप्पूराम ब्रा.
43	567/1/4 ✓		रामसागर पिता गप्पूराम ब्रा.
44	567/1/5 ✓		रमाकान्त पिता गप्पूराम ब्रा.
45	541/1 ✓	0.040 ✓	बाबूलाल पिता लखपतिराम ब्रा.
46	541/3 ✓		सुरेश पिता लखपतिराम ब्रा.
47	541/4 ✓		तीरथुआ वेवा लखपतिराम ब्रा.
48	542 ✓	0.010 ✓	तिरथुआ वेवा लखपतिराम ब्रा.
49	543/1 ✓	0.060 ✓	हीरालाल पिता लखपतिराम ब्रा.
50	543/2 ✓		सुरेश पिता लखपतिराम ब्रा.
51	543/3 ✓		तीरथुआ वेवा लखपतिराम ब्रा.
52	544/1 ✓	0.178 ✓	हीरालाल पिता लखपतिराम ब्रा.
53	544/2 ✓		अमित कुमार पिता लखपतिराम ब्रा.
54	544/3 ✓		तीरथुआ वेवा लखपतिराम ब्रा.
55	545 ✓	0.016 ✓	तीरथुआ वेवा लखपतिराम ब्रा.
56	591 ✓	0.004 ✓	अनिल कुमार बगै.
57	546/1 ✓	0.150 ✓	राघोराम पिता लखपतिराम ब्रा.
58	546/2 ✓		तिरथुआ वेवा लखपतिराम ब्रा.
59	558 ✓	0.070 ✓	बैजनाथ राम पिता विशुनाथ राम.
60	559 ✓	0.004 ✓	बैजनाथ राम पिता विशुनाथ राम
61	557/1 ✓	0.200 ✓	बैजनाथ पिता शिवनाथ हि 0.39 हे राजरूप तनय साधू कुशवाहा 0.26 हे.
62	557/2 ✓		मुमहेशिया पत्नी जगदीशराम दामोदर प्रसाद श्यामलाल रामलखन पिता जगदीश राम सुखी मुन्ना पिता जगदीश राम किरण देवी पिता चूड़ामणि राम 0.325 राम प्रसाद पिता रघुनाथ राम 0.125 राजरूप पिता साधू 0.200
63	556 ✓	0.065 ✓	मुमहेशिया पत्नी जगदीशराम दामोदर प्रसाद श्यामलाल रामलखन पिता जगदीश राम सुखी मुन्ना पिता जगदीश राम किरण देवी पिता चूड़ामणि राम 1/2 राप्रसाद पिता रघुनाथ राम 1/2
64	582 ✓	0.090 ✓	श्रीमती चन्द्रकली देवी पत्नी प्रद्युमन प्रसाद ब्रा.
Total	64 क़ि़ता ✓	3.277 ha. ✓	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु.

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.

क्रमांक 269/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - देवरी ✓
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1.084 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	223 ✓	0.260 ✓	रुद्रशंकर शिवशंकर पिता सुरेश प्रसाद मु. वेवा रामकली पति नरेश रमाशंकर कृपाशंकर पिता नरेश प्रसाद 0.56 अम्बिकेश संतोष लालजी पिता रामझुला राम मानवती वेवा शम्भू प्रसाद केशरी प्रसाद भगवान प्रसाद अरविन्द प्रदीप पिता शंभू प्रसाद मु. शशीकला वेवा रामनारायण विनोद कुमार प्रमोद कुमार पिता रामनारायण लोलरराम पिता इन्द्रमणि राम 0.33 दिवाकर प्रसाद हीरालाल पिता मकसूदनराम मु. प्रेमवती वेवा बृजभूषण रूकमणीकान्त उमाकांत कृपाकान्त शशिकान्त विद्याकान्त लक्ष्मीकान्त अमरकान्त पिता बृजभूषण व नीशा वेवा शिवकान्त सौरभ गौरव पिता शिवकान्त 0.49
2	222 ✓	0.004 ✓	रुद्रशंकर शिवशंकर पिता सुरेश प्रसाद मु. वेवा रामकली पति नरेश रमाशंकर कृपाशंकर पिता नरेश प्रसाद 0.56 अम्बिकेश संतोष लालजी पिता रामझुला राम मानवती वेवा शम्भू प्रसाद केशरी प्रसाद भगवान प्रसाद अरविन्द प्रदीप पिता शंभू प्रसाद मु. शशीकला वेवा रामनारायण विनोद कुमार प्रमोद कुमार पिता रामनारायण लोलरराम पिता इन्द्रमणि राम 0.33 दिवाकर प्रसाद हीरालाल पिता मकसूदनराम मु. प्रेमवती वेवा बृजभूषण रूकमणीकान्त उमाकांत कृपाकान्त शशिकान्त विद्याकान्त लक्ष्मीकान्त अमरकान्त पिता बृजभूषण व नीशा वेवा शिवकान्त सौरभ गौरव पिता शिवकान्त 0.49
3	224 ✓	0.070 ✓	विद्याधर पिता सुरेशधर मु. विद्या वेवा तुलसीधर अनूपधर तुषारधर पिता तुलसीधर गोरेधर गुलाबधर पिता सुरेशधर
4	226 ✓	0.160 ✓	रमेशधर पिता रामनेवाज
5	227 ✓	0.100 ✓	तेजमणि पिता राजमणि राम
6	230 ✓	0.150 ✓	रामलखन रामबहोर पिता वंशपति राम
7	207 ✓	0.110 ✓	रामलखन रामबहोर पिता वंशपति राम
8	206 ✓	0.008 ✓	रामलखन रामबहोर पिता वंशपति राम
9	204/1 ✓	0.208 ✓	रामलखन रामबहोर पिता वंशपति राम
10	202 ✓	0.014 ✓	हरीदास गोपालदास नारायण दास मनीप्रसाद किशुनदास पुरुषोत्तमदास सतीश कुमार प्रवीण कुमार पिता शंकर बानी 1/2 विश्वनाथ पिता कुन्जु बानी
Total	10 किता ✓	1.084 ha ✓	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (दायी तरफ) के निर्माण हेतु।
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

उपपानना

क्रमांक 971/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

" अनुसूची "

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - चोराही/
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1.095 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	486 ✓	0.160 ✓	समशेर अली गुलसेर पिता नूरमोहम्मद 1/4 अब्दुल सब्बार इस्माइल कमालदीन पिता विराहिम 1/4
2	484 ✓	0.060 ✓	महादेव पिता सुवंश
3	657 ✓	0.160 ✓	मटुकधारी पिता सुवंश चमार
4	664 ✓	0.040 ✓	महादेव पिता सुवंश
5	665 ✓	0.030 ✓	संजू पिता मातेश्वरी प्रसाद
6	666 ✓	0.020 ✓	संजू पिता मातेश्वरी प्रसाद
7	653 ✓	0.080 ✓	मटुकधारी पिता सुवंश चमार
8	667 ✓	0.110 ✓	विजयलक्ष्मी पिता राघो प्रसाद 1/2 उमाकान्त सुभाष कुमार लवकुश पिता सच्चितानन्द 1/2
9	656 ✓	0.120 ✓	मटुकधारी महादेव पिता सुवंश सम्मरिया वेवा सुवंश
10	485/1 ✓	0.030 ✓	हीरालाल पिता अभिमान
11	385 ✓	0.050 ✓	प्रेमलाल पिता अभिमान
12	382/2 ✓	0.020 ✓	गुलाम मोहम्मद तनय नूर मोहम्मद नूर मोहम्मद पिता विराहिम मुसलमान
13	381 ✓	0.040 ✓	समशेर अली गुलसेर पिता नूरमोहम्मद 1/4 अब्दुल सब्बार इस्माइल कमालदीन पिता विराहिम 1/4
14	380 ✓	0.010 ✓	समशेर अली गुलसेर पिता नूरमोहम्मद 1/4 अब्दुल सब्बार इस्माइल कमालदीन पिता विराहिम 1/4
15	379 ✓	0.020 ✓	ओम प्रकाश अरुण कुमार सुनील कुमार पिता रुद्र शंकर पाण्डे
16	377 ✓	0.030 ✓	शैलेन्द्र कुमार पिता श्यामकार्तिक राम
17	487 ✓	0.050 ✓	राजकुमार पिता जोखू मु. मन्ती वेवा जोखू 1/2 रावेन्द्र बृहस्पति कमलेश सोहगिया श्यामकली बुट्टन पिता गुलाब शान्ती वेवा गुलाब कहार
18	488 ✓	0.010 ✓	राजकुमार पिता जोखू मु. मन्ती वेवा जोखू 1/2 रावेन्द्र बृहस्पति कमलेश सोहगिया श्यामकली बुट्टन पिता गुलाब शान्ती वेवा गुलाब कहार
19	669 ✓	0.015 ✓	मटुकधारी महादेव पिता सुवंश सम्मरिया वेवा सुवंश
20	383 ✓	0.040 ✓	सुखलाल पिता सुदामा कहार
Total	20 किता ✓	1.095 ha ✓	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (दायी तरफ) के निर्माण हेतु।
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 973/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
(ख) तहसील - बहरी
(ग) नगर/ग्राम - भटिगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.669 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	161	0.040	गणेश प्रसाद रामनरेश पिता नथईराम ब्रा.
2	163	0.055	रूपा पुत्री सन्तोष शुक्ला, अनीशा पति राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
3	164	0.009	गणेश प्रसाद रामनरेश पिता नथईराम ब्रा.
4	165	0.035	मु. जायत्री देवी कृपाशंकर दयाशंकर पिता रामनरेश पिता वशिष्ठ मु. देववती देवी महेन्द्र कुमार निर्मला देवी पुत्री महेन्द्र कुमार चतुर्भुज पिता सरजोराम मु. गुलाबवती देवी सरजोराम
5	175/1	0.012	राजेन्द्र प्रसाद पिता कुबेर राम
6	180	0.060	बृजकिशोर पिता नर्बदेश्वरराम
7	181	0.004	गणेश प्रसाद रामनरेश पिता नथईराम ब्रा.
8	182	0.002	मु. वेवा पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद अजीत अमित अन्जु मन्जु पिता सुरेन्द्र प्रसाद एवं अशोक कुमार पिता गणेश प्रसाद
9	178	0.060	वीरेन्द्र जीवेन्द्र पिता केशव प्रसाद मु. श्यामकली देवी केशव प्रसाद मु. वेवा अभिमन्यु ज्ञानेन्द्र बृजेन्द्र प्रदीप किरण पिता अभिमन्यु 1/2 वीरेन्द्र कुमार जीवेन्द्र कुमार पिता केशव प्रसाद
10	201/1	0.040	मु.शिवादेवी पति मुरली मनोहर रविशंकर पिता मुरली मनोहर
11	201/2		सीता राम पिता नर्बदेश्वरराम
12	201/3		शिवम कुमार पिता हीरामणि नाबा सं माता ममता पति हीरामणि हि. 0.18 हे. संजय कुमार राजेश कुमार पिता शोभनाथ शंभु पिता कौशलेश प्रसाद
13	200	0.015	धनन्जय कुमार सत्येन्द्र कुमार धीरेन्द्र कुमार पिता मृत्युंजय प्रसाद 1/4 बृजेन्द्र प्रसाद आशेन्द्र कुमार ज्ञानेन्द्र कुमार पिता केशरी प्रसाद 1/6 सरस्वती प्रसाद पिता कमलेश्वर प्रसाद 1/6 महेन्द्रमणि पिता रामनिवास 1/4 चिन्तामणि पिता लक्ष्मीकान्त देवा गणेश 1/4
14	202	0.085	अनीता पत्नी राजेन्द्र 1/2 रामनरेश पिता नथईराम 1/2
15	199/1	0.070	दीपनारायण पिता कुबेर राम
16	199/2		बाबूलाल पिता छोटे प्रसाद ब्रा.
17	197	0.030	वीरेन्द्र जीवेन्द्र पिता केशव प्रसाद मु. श्यामकली देवी केशव प्रसाद मु. वेवा अभिमन्यु ज्ञानेन्द्र बृजेन्द्र प्रदीप किरण पिता अभिमन्यु 1/2 वीरेन्द्र कुमार जीवेन्द्र कुमार पिता केशव प्रसाद
18	101	0.035	मु. कुसालू देवी देवा नन्दलाल अनुरुद्ध कृष्णगोपाल पिता नन्दलाल मु. राधा देवी देवा बृजलाल अनन्त अमरनाथ पिता बृजलाल राम 1/2 बृजमोहन पिता भगवान प्रसाद मु. कमला देवी देवा चन्द्रशेखर राम अनिल सुनील मनोज रामकृष्ण पिता चन्द्रशेखर राम
19	98	0.003	मु. कुसालू देवी देवा नन्दलाल अनुरुद्ध कृष्णगोपाल पिता नन्दलाल मु. राधा देवी देवा बृजलाल अनन्त अमरनाथ पिता बृजलाल राम 1/2 बृजमोहन पिता भगवान प्रसाद मु. कमला देवी देवा चन्द्रशेखर राम अनिल सुनील मनोज रामकृष्ण पिता चन्द्रशेखर राम
20	99	0.024	राकेश कुमार नीलेश कुमार राहुल कुमार पिता गजानन प्रसाद पाण्डेय
21	100	0.090	राकेश कुमार नीलेश कुमार राहुल कुमार पिता गजानन प्रसाद पाण्डेय
Total	21 कित्वा	0.669 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 275/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - बैरिहा कोठार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकबा 0.217 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	95 /	0.030 /	उपेन्द्र कुमार 37/334 ज्ञानेन्द्र कुमार 13/334 सर्वेन्द्र कुमार 21/334 पिता महेन्द्र कुमार संतोष कुमार दिनेश कुमार पिता प्रभात कुमार सिंह स्वदीप पिता प्रदीप सिंह राजकुमारी पत्नी प्रदीप सिंह 1/3 शिवम सिंह पिता दिलीप सिंह विकास सिंह शैलेन्द्र पिता महीप सिंह हर्षित सिंह पिता जिवेन्द्र सिंह पुष्पराज कुमारी वेवा विभात सिंह 1/3 बृजेश कुमार योगेश कुमार पिता कमलेश्वर प्रसाद 40/334 चन्देल
2	96 /	0.007 /	उपेन्द्र कुमार 37/334 ज्ञानेन्द्र कुमार 13/334 सर्वेन्द्र कुमार 21/334 पिता महेन्द्र कुमार 1/3 संतोष कुमार दिनेश कुमार पिता प्रभात कुमार सिंह स्वदीप पिता प्रदीप सिंह राजकुमारी पत्नी प्रदीप सिंह 1/3 शिवम सिंह पिता दिलीप सिंह विकास सिंह शैलेन्द्र पिता महीप सिंह हर्षित सिंह पिता जिवेन्द्र सिंह पुष्पराज कुमारी वेवा विभात सिंह 1/3 बृजेश कुमार योगेश कुमार पिता कमलेश्वर प्रसाद 40/334 चन्देल
3	98 /	0.090 /	उपेन्द्र कुमार 37/334 ज्ञानेन्द्र कुमार 13/334 सर्वेन्द्र कुमार 21/334 पिता महेन्द्र कुमार 1/3 संतोष कुमार दिनेश कुमार पिता प्रभात कुमार सिंह स्वदीप पिता प्रदीप सिंह राजकुमारी पत्नी प्रदीप सिंह 1/3 शिवम सिंह पिता दिलीप सिंह विकास सिंह शैलेन्द्र पिता महीप सिंह हर्षित सिंह पिता जिवेन्द्र सिंह पुष्पराज कुमारी वेवा विभात सिंह 1/3 बृजेश कुमार योगेश कुमार पिता कमलेश्वर प्रसाद 40/334 चन्देल
4	99 /	0.070 /	उपेन्द्र कुमार 37/334 ज्ञानेन्द्र कुमार 13/334 सर्वेन्द्र कुमार 21/334 पिता महेन्द्र कुमार 1/3 संतोष कुमार दिनेश कुमार पिता प्रभात कुमार सिंह स्वदीप पिता प्रदीप सिंह राजकुमारी पत्नी प्रदीप सिंह 1/3 शिवम सिंह पिता दिलीप सिंह विकास सिंह शैलेन्द्र पिता महीप सिंह हर्षित सिंह पिता जिवेन्द्र सिंह पुष्पराज कुमारी वेवा विभात सिंह 1/3 बृजेश कुमार योगेश कुमार पिता कमलेश्वर प्रसाद 40/334 चन्देल
5	103 /	0.020 /	देऊ पिता जंगाली
	5 कित्ता	0.217 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 77/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - धुम्मा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकबा 0.967 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	216	0.004	देवेन्द्र प्रसाद पिता बैजनाथ 1/6 भगवानदीन सीताराम शिवदास हिन्डलाल यदुवंश देवेन्द्र पिता बैजनाथ मु. जमुनिया वेवा पत्नी बैजनाथ 5/6
2	212	0.080	भगवानदीन सीताराम पिता बैजनाथ
3	202	0.085	भगवानदीन सीताराम शिवदास हिन्डलाल यदुवंश देवेन्द्र पिता बैजनाथ मु. जमुनिया वेवा पत्नी बैजनाथ
4	201/1	0.050	रामाधार पिता ठाकुरदीन साहू सुखदेव रामधनी छोटे चन्द्रभान ठाकुरदीन पिता विश्वनाथ विमली पति छोटे
5	201/2		रामसेवक पिता सुदर्शन बानी
6	200/1	0.053	रामाधार पिता ठाकुरदीन साहू सुखदेव रामधनी छोटे चन्द्रभान ठाकुरदीन पिता विश्वनाथ विमली पति छोटे
7	181	0.036	रामसुन्दर पिता कामता
8	183	0.007	रामसुन्दर पिता कामता
9	180/1	0.033	ठाकुरदीन पिता विश्वनाथ हि. 0.49 हे. जमुना रामचन्द्र दादूलाल गोपाल पिता महादेव हिस्सा 0.85 हे. रामचन्द्र पिता महादेव हि. 0.165 हे.
10	184	0.050	मु.रामरती वेवा जयकरण सुखेन्द्र अर्जुन श्रीनाथ विष्णु उर्मिला पिता जयकरण जयकरण पिता कामता
11	185	0.111	जयकरण पिता कामता
12	188	0.030	दादूलाल पिता महादेव
13	258/1	0.005	गोपाल पिता महादेव
14	259	0.113	रामसेवक पिता सुदर्शन
15	217	0.080	देवेन्द्र प्रसाद पिता बैजनाथ 1/6 भगवानदीन सीताराम शिवदास हिन्डलाल यदुवंश देवेन्द्र पिता बैजनाथ मु. जमुनिया वेवा पत्नी बैजनाथ 5/6
16	221	0.120	ललन भाई लाल पिता सरदार 1/4 मु. वावी पति लल्लू 1/4 ददानी पिता बच्चू 1/6 श्रीमती वतसिया पति रामविलाष माधो लाला पिता लोरिक 1/12 रामविलाष माधो लाला पिता लोरिक 1/6 राजमन पिता ददानी 1/12 तेली
17	187	0.110	मु. गेंदकली वेवा पत्नी सनतकुमार प्रमोद कुमार पिता सनत कुमार विनोद कुमार रवि विनीत कुमार पिता सनत कुमार ना.बा. माता गेंदकली
Total	17 कित्ता	0.967 ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (दायी तरफ) के निर्माण हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 979/भू-अर्जन/2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - मौहार/
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1.282 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	658 /	0.100 /	राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा.
2	571 /	0.180 /	राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा.
3	568 /	0.020 /	राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा.
4	565 /	0.060 /	राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा.
5	566 /	0.001 /	बालकृष्ण पिता तीर्थ प्रसाद ब्रा.
6	569 /	0.100 /	बालकृष्ण पिता तीर्थ प्रसाद ब्रा.
7	629 /	0.010 /	लालमणि गंगा पिता मीरू साहू
8	630 /	0.001 /	लालमणि गंगा पिता मीरू साहू
9	631 /	0.002 /	लालमणि गंगा पिता मीरू साहू
10	632 /	0.017 /	राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा.
11	633 /	0.060 /	काशी प्रसाद पिता ददनराम ब्रा.
12	634 /	0.003 /	राजेश्वर प्रसाद पिता ददनराम ब्रा.
13	699 /	0.017 /	विकास कुमार पिता राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
14	700 /	0.022 /	चन्द्रकली वेवा रामकिंकर गरुण कुमार प्राणेश्वर ज्ञानेश्वर रामेश्वर लक्ष्मीशंकर पिता रामकिंकर रामायण राम पिता ऋषिकेशरामाश्रय देवानन्द महानन्द पिता राघो प्रसाद
15	701 /	0.020 /	सुखेन्द्र प्रसाद पिता राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
16	702 /	0.014 /	राजेश्वर प्रसाद पिता ददनराम ब्रा.
17	708 /	0.022 /	सुखेन्द्र प्रसाद पिता राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
18	709 /	0.030 /	चन्द्रकली वेवा रामकिंकर गरुण कुमार प्राणेश्वर ज्ञानेश्वर रामेश्वर लक्ष्मीशंकर

			पिता रामकिंकर रामायण राम पिता ऋषिकेशरामाश्रय देवानन्द महानन्द पिता राघो प्रसाद
19	710 ✓	0.030 ✓	सुशीला वेवा नागेन्द्र सत्येन्द्र जितेन्द्र सोनू पिता नागेन्द्र ब्रा.
20	698 ✓	0.130 ✓	काशीप्रसाद पिता ददन राम ब्रा.
21	643 ✓	0.024 ✓	विकास कुमार पिता राजेश्वर ब्रा.
22	644 ✓	0.004 ✓	राजेश्वर प्रसाद पिता ददन ब्रा.
23	645/1 ✓	0.020 ✓	विकास तनय राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
24	625 ✓	0.100 ✓	राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा. हि. 1/4 राजेश्वर काशी प्रसाद पिता ददन राम 1/8 दयानन्द पिता भुवनेश्वर राम 3/8 सुखेन्द्र पिता राजेश्वर राम 1/4
25	624 ✓	0.025 ✓	लालमणि गंगा पिता मीरू साहू
26	626 ✓	0.001 ✓	लालमणि गंगा पिता मीरू साहू
27	646 ✓	0.004 ✓	सुखेन्द्र प्रसाद पिता राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
28	697 ✓	0.080 ✓	विकास कुमार पिता राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
29	649 ✓	0.080 ✓	सन्तोष कुमार पिता छोटे लाल ब्रा.
30	648 ✓	0.003 ✓	राजेश्वर प्रसाद पिता ददन राम ब्रा.
31	641 ✓	0.002 ✓	विकास कुमार पिता राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
32	650 ✓	0.006 ✓	काशी प्रसाद राजेश्वर प्रसाद पिता ददन राम ब्रा.
33	651 ✓	0.004 ✓	काशी प्रसाद राजेश्वर प्रसाद पिता ददन राम ब्रा.
34	574 ✓	0.050 ✓	राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा.
35	575 ✓	0.030 ✓	राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा.
36	576 ✓	0.002 ✓	राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा. हि. 1/4 राजीवलोचन पिता बाल्मीक 1/4 शेषमणि पिता लालू 1/4 राजेश्वर काशी प्रसाद पिता ददन राम 1/8
37	642 ✓	0.008 ✓	सुखेन्द्र प्रसाद पिता राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
Total	37 कित्ता ✓	1.282 Ha ✓	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु.

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 जून 2019

क्र. 580-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) बड़ौवा कोठार	(4) 1.600	(5) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा, (म. प्र.).	(6) सिरमौर वितरक नहर से बड़ौवा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 582-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) मनगवाँ	(3) गोंदरी नं. 7	(4) 0.260	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर से गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 26 जून 2019

क्र. 634-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि उक्त, माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) मनगवाँ	(3) डीहा	(4) 0.012	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्यौंटी मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 642-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) जवा	(3) अंदवा कोठार 6	(4) 1.295	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	(6) त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 644-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण

धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	अंदावा पवाई 8.	0.990	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 646-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	भटमोजरा 420	0.027	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 648-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	खोहा 121.	1.930	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 650-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	भितरी 431.	0.051	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 652-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कुठिला 68.	0.430	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 654-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण

धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	बसरेही 390	1.931	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 656-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	चौखण्डी 187	0.993	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 658-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	हरदौहा 568	1.099	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 660-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) जवा	(3) देवरी	(4) 0.095	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	(6) त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 24 जून 2019

क्र. 178-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान में भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम, की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) सेमरिया	(3) पुरवा 319	(4) 0.950	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा.	(6) रीवा-बीड़ा-सेमरिया मार्ग के कि.मी. 28/10 में टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 28 जून 2019

प. क्र. 3544-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, भूमि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	ब्राम्हनवाड़ा ब. नं.- प.ह.नं.-39	0.11	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी.	अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 3547-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	कुवाखेड़ा ब. नं.- प.ह.नं.-32	0.02	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी.	अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

प. क्र. 3548-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्रधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम/प.ह.न.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	भूमि अर्जन पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्रधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	आमानाला/ प.ह.नं.-32	0.06	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी	अपर तिलवारा नहर परियोजना.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

प. क्र. 3549-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्रधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास,

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम/प.ह.न.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्रधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	सुनवारा/ प.ह.नं.-55	0.21	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी	अपर तिलवारा नहर परियोजना.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में के बारे में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प. क्र. 3550-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	भूमि का विवरण ग्राम/ प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	बगहाई बं. नं. प.ह.न. 28.	0.57	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी.	अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

प. क्र. 3551-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/ प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा	तिलवारा बं. नं. प.ह.नं. 28.	0.05	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी.	अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

सिवनी, दिनांक 29 जून 2019

क्र. 3608-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-सिवनी भाग-1.	ग्राम परतापुर ब. नं.-320 प.ह.नं.-115.	0.57	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई.	सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीणसिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 20 जून 2019

क्र. भू-अर्जन-17-(अ-82)-2018-19-78.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं धारा (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—मंडला
(ख) तहसील—बिछिया
(ग) ग्राम—मांगावेली माल, प.ह.नं. 28
(घ) क्षेत्रफल—1.12 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
294/1	0.11
302	0.04
301	0.22
328	0.41
327	0.19
324	0.14
319/1	0.01
योग	1.12

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन

यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-18-(अ-82)-2018-19-79.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं धारा (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—मंडला
(ख) तहसील—बिछिया
(ग) ग्राम—मांगावेली रैयत, प.ह.नं. 27
(घ) क्षेत्रफल—0.69 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
27	0.15
28	0.21
34	0.07
35	0.11
36	0.12
37/3	0.03
योग	0.69

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-19-(अ-82)-2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं धारा (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—मंडला
(ख) तहसील—बिछिया
(ग) ग्राम—बिरसा, प.ह.नं. 28
(घ) क्षेत्रफल—0.38 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
272/12	0.04
272/9	0.26
272/6	0.08
योग . .	0.38

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चन्द्र जटिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 जून 2019

पत्र क्र. 584-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवाँ
(ग) ग्राम—उकठा उर्फ कंचनपुर
(घ) क्षेत्रफल—1.092 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
	(अ) निजी पट्टे की भूमि	
110	0.064	-
112	0.124	-
113	0.072	-
116	0.172	-
277	0.008	-
283	0.168	-
284	0.006	-
285	0.050	-
296	0.030	-
295	0.084	-
294	0.040	-
293	0.026	-
332	0.044	-
356	0.040	-
357	0.036	-
358	0.068	-
359	0.060	-
योग . .	1.092	-

(ब) शासकीय भूमि निरंक
महायोग . . 1.092

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की कंचनपुर सबमाइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 586-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवाँ
(ग) ग्राम—जोड़ौरी
(घ) क्षेत्रफल—0.476 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

892	0.196	-
891	0.020	-
1068	0.028	-
1071	0.076	-
1072	0.096	-
1073	0.060	-
योग . .	0.476	

(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक
महायोग . .	0.476	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की कंचनपुर सबमाइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 588-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा,

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवाँ
(ग) ग्राम—करौंदा
(घ) क्षेत्रफल—1.458 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

9	0.128	-
28	0.120	-
29	0.006	-
30	0.092	-
31	0.032	-
33	0.008	-
32	0.108	-
35	0.072	-
37	0.048	-
39	0.068	-
52	0.008	-
48	0.096	-
89	0.052	-
101	0.072	-
102	0.004	-
103	0.016	-
104	0.016	-
105	0.060	-
106	0.036	-
111	0.032	-
125	0.004	-
123	0.084	-
122	0.136	-
88	0.048	-
14	0.064	-
38	0.048	-
योग . .	1.458	

(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक
महायोग . .	1.458	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अंतर्गत आने वाली तिवनी माइनर नं. 1 की सब माइनर करौंदा के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 590-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवाँ
(ग) ग्राम—गोंदरी नं. 2
(घ) क्षेत्रफल—0.651 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

43	0.099	-
40	0.080	-
39	0.080	-
37	0.030	-
22	0.060	-
23	0.011	-
7	0.052	-
54	0.019	-
8	0.080	-
10	0.028	-
11	0.032	-
13	0.080	-
योग . .	0.651	-

(ब) शासकीय भूमि निरंक
महायोग . . 0.651

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अंतर्गत आने वाली पिपरवार वितरक नहर से गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 592-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—गुहिया
(घ) क्षेत्रफल—3.575 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

587	0.190	-
591	0.028	-
590	0.086	-
592	0.020	-
593	0.014	-
594	0.014	-
595	0.022	-
617	0.169	-
678	0.044	-
679	0.020	-
589	0.020	-
588	0.016	-
598	0.094	-
603	0.044	-
604	0.020	-
796	0.008	-
398	0.188	-
399	0.120	-
400	0.140	-
464	0.036	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
294	0.044	-	353	0.048	-
297	0.080	-	210	0.016	-
293	0.030	-	770	0.080	-
794/2/229	0.025	-	योग . .	<u>3.555</u>	
794/1/229	0.025	-	(ब) शासकीय भूमि		
302	0.032	-	396	-	0.020
298	0.020	-	महायोग . .	<u>3.575</u>	
310/1	0.028	-	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता		
310/2	0.050	-	है.—बाणसागर परियोजना अंतर्गत आने वाली गुहिया माइनर		
311	0.016	-	एवं सब-माइनर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय		
312	0.032	-	भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		
317	0.080	-	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर		
226	0.004	-	परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
793	0.060	-			
223	0.080	-			
222	0.060	-	रीवा, दिनांक 26 जून 2019		
218	0.040	-			
217	0.096	-	पत्र क्र. 636-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को		
215	0.020	-	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद		
202	0.028	-	(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि		
200	0.152	-	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन		
199	0.100	-	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का		
395	0.060	-	अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा,		
606	0.018	-	घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित		
607	0.012	-	सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		
608	0.010	-	अनुसूची		
609	0.020	-	(1) भूमि का वर्णन—		
797	0.030	-	(क) जिला—रीवा		
376	0.136	-	(ख) तहसील—मनगावाँ		
394	0.032	-	(ग) ग्राम—तिवनी		
371	0.064	-	(घ) क्षेत्रफल—2.209 हेक्टेयर.		
373	0.160	-	खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
372	0.008	-	नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
326	0.068	-	(1)	(2)	(3)
325	0.088	-	(अ) निजी पट्टे की भूमि		
359	0.052	-	1117	0.080	-
355	0.146	-	1118	0.060	-
354	0.056	-	1119	0.020	-
357	0.076	-	1114	0.040	-
			1113	0.032	-
			1111	0.020	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1112	0.008	-	1989	0.016	-
1108	0.048	-	1987	0.008	-
1106	0.060	-	1986	0.010	-
1416	0.004	-	1899	0.024	-
1410	0.008	-	1900	0.022	-
1412	0.056	-	1901	0.046	-
1411	0.040	-	1701	0.026	-
1440	0.040	-	1702	0.038	-
1445	0.012	-	1993	0.080	-
1472	0.016	-	2007	0.012	-
1473	0.028	-	2008	0.010	-
1474	0.028	-	2009	0.012	-
1494	0.020	-	2010	0.010	-
1493	0.016	-	2011	0.006	-
1492	0.016	-	2012	0.010	-
1491	0.012	-	2013	0.014	-
1490	0.044	-	2014	0.010	-
1489	0.045	-	2015	0.012	-
1482	0.008	-	4791	0.006	-
1483	0.040	-	2059	0.010	-
1488	0.052	-	2058	0.028	-
1573	0.016	-	2057	0.012	-
1576	0.008	-	2085	0.014	-
1550	0.012	-	2092	0.016	-
1549	0.036	-	2100	0.026	-
1578	0.040	-	2101	0.024	-
1577	0.010	-	2112	0.030	-
1575	0.012	-	2113	0.016	-
1574	0.012	-	2114	0.020	-
1486	0.008	-	2115	0.024	-
1487	0.020	-	2116	0.008	-
1703	0.008	-	2099	0.008	-
1704	0.014	-	2098	0.006	-
1708	0.016	-	2094	0.008	-
1709	0.020	-	2093	0.004	-
1715	0.012	-	2084	0.008	-
1716	0.018	-	2075	0.008	-
1898	0.060	-	2074	0.010	-
1896	0.022	-	2069	0.004	-
1994	0.034	-	2060	0.026	-
1990	0.016	-	2063	0.028	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2065	0.012	-	392	0.048	-
2006	0.030	-	375	0.008	-
1416	0.008	-	391	0.030	-
1496	0.008	-	376	0.008	-
2061	0.012	-	387	0.032	-
1810	0.038	-	390	0.048	-
1812	0.072	-	388	0.076	-
1815	0.072	-	1049	0.044	-
योग . .	<u>2.209</u>	-	1367	0.032	-
(ब) शासकीय भूमि		निरंक	1366	0.020	-
महायोग . .	<u>2.209</u>		1368	0.032	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पिपरवार			1365	0.020	-
वितरक नहर से तिवनी माईनर नं. 3 के निर्माण में आने			1364	0.020	-
वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के			209	0.040	-
अर्जन हेतु.			204	0.012	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर			211	0.080	-
परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			195	0.030	-
पत्र क्र. 638-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को			197	0.110	-
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद			196	0.026	-
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि			191	0.024	-
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन			624	0.070	-
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का			618	0.024	-
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा,			617	0.032	-
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित			616	0.032	-
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—			615	0.028	-
अनुसूची			614	0.036	-
(1) भूमि का वर्णन—			613	0.052	-
(क) जिला—रीवा			612	0.040	-
(ख) तहसील—मनगवाँ			611	0.066	-
(ग) ग्राम—कंदैला पैपखार			599	0.001	-
(घ) क्षेत्रफल—3.119 हेक्टेयर.			601	0.001	-
खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		608	0.002	-
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि	1097	0.068	-
(1)	(2)	(3)	1096	0.028	-
(अ) निजी पट्टे की भूमि			1094	0.048	-
311	0.048	-	1086	0.036	-
372	0.140	-	1067	0.016	-
373	0.040	-	1089	0.052	-
374	0.048	-	1085	0.020	-
			1084	0.036	-
			1078	0.064	-
			1075	0.076	-
			1073	0.064	-
			1052	0.088	-
			1051	0.052	-

(1)	(2)	(3)	(घ) क्षेत्रफल—2.649 हेक्टेयर.		
1050	0.124	-	खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
819	0.001	-	नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
1043	0.200	-	(1)	(2)	(3)
1030	0.080	-	(अ) निजी पदटे की भूमि		
1031	0.100	-	2433	0.212	-
1027	0.032	-	2435	0.088	-
1029	0.180	-	2436	0.120	-
623	0.003	-	2437	0.122	-
622	0.030	-	2438	0.168	-
625	0.040	-	2422	0.001	-
190	0.050	-	2421	0.050	-
186	0.086	-	2180	0.256	-
212	0.015	-	2181	0.028	-
389	0.030	-	2179	0.230	-
योग . .	<u>3.019</u>		2177	0.038	-
(ब) शासकीय भूमि		निरंक	2178	0.033	-
198	-	0.006	2190	0.050	-
609	-	0.082	2056	0.028	-
1059	-	0.012	2057	0.020	-
योग . .		<u>0.100</u>	2173	0.023	-
महायोग . .		3.119	2172	0.002	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर			2059	0.050	-
परियोजना की नेबूहा वितरक नहर की कंदैला माइनर के			2060	0.016	-
अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर			2054	0.004	-
स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			2062	0.028	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर			2063	0.018	-
परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.			2065	0.012	-
			2064	0.022	-
			2069	0.072	-
			2068	0.012	-
			2072	0.036	-
			2073	0.002	-
			2071	0.044	-
			2078	0.022	-
			2077	0.030	-
			2076	0.036	-
			2080	0.016	-
			2082	0.002	-
			2084	0.052	-
			2087	0.180	-
			2090	0.044	-
			2091	0.040	-
			2092	0.036	-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवाँ

(ग) ग्राम—महमूदपुर

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—खम्हरिया	(घ) क्षेत्रफल—1.745 हेक्टेयर.	
2174	0.038	-	खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
2101	0.030	-	नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
2061	0.020	-	(1)	(2)	(3)
2058	0.038	-	24	-	0.005
2108	0.032	-	33	0.168	-
2100	0.006	-	38/1005	0.139	-
2109	0.025	-	88	0.134	-
1831	0.005	-	329	0.035	-
1830	0.005	-	366	0.149	-
1829	0.036	-	601	0.144	-
1827	0.044	-	602	0.010	-
1828	0.001	-	605	0.041	-
1836	0.024	-	606	0.115	-
2093	0.038	-	607	0.038	-
2102	0.044	-	608	0.055	-
1839	0.020	-	607/1007	0.053	-
योग . .	2.649		666	0.010	-
(ब) शासकीय भूमि		निरंक	667	0.211	-
महायोग . .		2.649	668	0.010	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर			669	0.125	-
परियोजना के अंतर्गत क्यौंटी मुख्य नहर की पिपरवार			671	0.010	-
वितरक नहर की महमूदपुर माइनर नं. 3 के निर्माण के			672	0.010	-
अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर			673	0.283	-
स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			कुल योग . .	1.740	0.005
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर			महायोग . .		1.745
परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.					

मण्डला, दिनांक 3 जुलाई 2019

पत्र क्र. 664-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराज नगर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगाँव शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 666-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—हिनौता
(घ) क्षेत्रफल—1.867 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
4	0.049	-
56	0.054	-
58	0.003	-
59	0.007	-
60	0.170	-
61	0.073	-
62	0.054	-
63	0.039	-
64	0.005	-
65	0.048	-
66	0.038	-
69	0.019	-
70	0.045	-
71	0.028	-
72	0.112	-
97	0.003	-
101	0.016	-
102	0.073	-
103	0.125	-
104	0.010	-
163	0.035	-
165	0.064	-
166	0.081	-
167	0.077	-
168	0.100	-
169	0.004	-
170	0.012	-
197	0.005	-
198अ	0.060	-
198ब	0.024	-
199	0.010	-
200	0.018	-

(1)	(2)	(3)
201	0.316	-
202	0.060	-
204	0.025	-
205	0.005	-
कुल योग . .	1.867	0.000
महायोग :	1.867	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 668-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—पटना कला
(घ) क्षेत्रफल—0.645 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
18	0.043	-
20	-	0.014
21	0.022	-
22	0.029	-
28	0.012	-
29	0.004	-
30	0.060	-
31	0.006	-
32	0.034	-
33	0.130	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
35	-	0.019	163	0.250	-
44	0.023	-	199	0.305	-
45	-	0.048	210	0.008	-
46	0.004	-	213	0.012	-
51	0.052	-	214	0.146	-
52	0.018	-	216	0.108	-
53	0.029	-	238	0.030	-
54	0.005	-	239	0.046	-
55	0.014	-	269	0.184	-
63	0.036	-	306	0.088	-
64	0.043	-	307	0.208	-
कुल योग . .	0.564	0.081	308	0.012	-
महायोग . .	0.645		309	0.052	-
			310	0.016	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			311	0.160	-
			332	0.012	-
			334	0.002	-
			339	0.024	-
			340	0.184	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			411	0.002	-
			412	0.208	-
			413	0.180	-
			415	0.060	-
			416	0.003	-
			421	0.072	-
			422	0.004	-
			423	0.073	-
			453	0.008	-
			454	0.146	-
			463	0.307	-
			464	0.010	-
			503	0.013	-
			504	0.141	-
			कुल योग . .	3.246	0.000
			महायोग . .	3.246	
(1) भूमि का वर्णन—					
(क) जिला—सतना					
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर					
(ग) ग्राम—हलिया कला					
(घ) क्षेत्रफल—3.246 हेक्टेयर.					
खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)				
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि			
(1)	(2)	(3)			
155	0.036	-			
156	0.110	-			
162	0.026	-			
			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		
			(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		

पत्र क्र. 672-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—हरिहरपुर
(घ) क्षेत्रफल—2.893 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
12	0.036	-
15	0.032	-
17	0.048	-
18	0.035	-
19	0.032	-
21	0.202	-
25	0.005	-
26	0.087	-
27	0.002	-
28	0.015	-
57	0.067	-
63	-	0.010
64	0.018	-
65	-	0.032
66	0.048	-
70	0.066	-
72	0.003	-
75	0.029	-
76	0.028	-
93	0.002	-
99	0.012	-
100	0.097	-
101	0.013	-

(1)	(2)	(3)
102	0.013	-
196	0.429	-
200	0.005	-
201	0.016	-
205	-	0.019
207	0.301	-
208	0.077	-
569	0.269	-
576	0.021	-
860/576	0.060	-
578	0.011	-
579	0.118	-
584	0.007	-
585	0.006	-
586	0.045	-
587	0.146	-
589	0.098	-
590	0.027	-
591	0.180	-
595	0.114	-
597	-	0.012
कुल योग . .	2.820	0.073
महायोग . .	2.893	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 674-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—गुड़गवॉ
(घ) क्षेत्रफल—1.039 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
61	0.026	-
62	0.064	-
63	0.015	-
72	0.019	-
73	0.032	-
74	0.042	-
80	0.218	-
81	-	0.102
86	0.105	-
87	0.075	-
88	0.130	-
89	0.096	-
91	0.064	-
126	-	0.051
कुल योग . .	0.886	0.153
महायोग . .	1.039	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवॉ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 676-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—नकेहली
(घ) क्षेत्रफल—1.361 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
2	-	0.066
3	0.310	-
32	0.005	-
33	0.195	-
35	0.010	-
36	0.202	-
40	-	0.008
146	0.060	-
147	0.004	-
148	0.060	-
149	0.010	-
158	0.004	-
159	0.160	-
160	0.024	-
161	0.060	-
162	0.060	-
163	0.095	-
165	-	0.002
172	0.004	-
173	0.004	-
212	0.018	-
कुल योग . .	1.285	0.076
महायोग . .	1.361	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवॉ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 678-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—मिश्रगवां
(घ) क्षेत्रफल—2.781 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
10	0.162	-
247	0.017	-
11	0.128	-
26	0.259	-
27	0.049	-
28	0.022	-
32	0.002	-
40	0.048	-
41	0.109	-
42	0.080	-
43	0.080	-
45	0.048	-
69	0.250	-
70	0.006	-
72	0.013	-
73	0.109	-
74	0.109	-
76	0.007	-
77	0.083	-
78	0.090	-
79	0.006	-
80	0.026	-
90	0.040	-
91	0.243	-

(1)	(2)	(3)
92	0.122	-
93	0.014	-
94	0.051	-
95	0.061	-
96	0.002	-
97	0.024	-
98	0.002	-
205	0.060	-
206	0.010	-
207	0.185	-
208	0.032	-
209	0.117	-
210	0.040	-
242	0.051	-
243	0.002	-
244	0.002	-
246	-	0.020
कुल योग . .	2.761	0.020
महायोग . .	2.781	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 680-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—ऊजेनी

(घ) क्षेत्रफल—1.252 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
4	0.002	-
5	0.040	-
6	0.059	-
15	0.034	-
16	0.036	-
17	0.044	-
18	0.051	-
19	0.086	-
20	0.024	-
27	0.082	-
28	0.010	-
51	0.086	-
206/57	0.096	-
58	-	0.005
59	0.048	-
60	0.024	-
61	-	0.020
64	-	0.008
107	0.135	-
110	0.097	-
111	0.155	-
116	0.022	-
117	0.022	-
118	0.010	-
119	0.024	-
120	0.005	-
127	0.074	-
205	-	0.010
कुल योग . .	1.209	0.043
महायोग . .	1.252	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 682-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—अंगेठिया
(घ) क्षेत्रफल—0.810 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
33	0.202	-
34	0.066	-
35	0.075	-
40	0.202	-
41	0.026	-
42	0.070	-
43	0.030	-
45	0.125	-
46	0.014	-
कुल योग . .	0.810	0.000
महायोग . .	0.810	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 684-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) ग्राम—छिरहटा

(घ) क्षेत्रफल—2.219 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
2	0.059	-
3	0.056	-
22	0.056	-
23	0.034	-
24	0.022	-
25	0.028	-
48	0.056	-
49	0.048	-
53	0.050	-
54	0.062	-
77	-	0.017
111	0.084	-
112	0.106	-
114	0.047	-
120	0.056	-
121	0.163	-
122	0.032	-
123	0.048	-
124	0.012	-
125	0.022	-
140	0.002	-
141	0.002	-
142	0.002	-
143	0.012	-
144	0.010	-

(1)	(2)	(3)
145	0.039	-
146	0.032	-
147	0.067	-
151	0.045	-
152	0.101	-
153	0.044	-
192	0.006	-
200	-	0.004
201	0.090	-
202	0.002	-
206	0.084	-
208	0.004	-
209	0.056	-
210	0.056	-
211	0.034	-
214	0.056	-
215	0.045	-
216	0.045	-
230	-	0.017
231	0.062	-
233	0.135	-
234	0.022	-
235	0.008	-
236	-	0.004
237	0.073	-
240	0.002	-
कुल योग . .	2.177	0.042
महायोग . .	2.219	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 26 जून 2019

क्र. 6211-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित वनाधिकार पट्टे की भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—सरदारपुर
(ग) ग्राम—सेमलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.293 हेक्टेयर.

कक्ष क्रमांक	प्लॉट क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
434	1	1.043
434	1	0.692
434	1	0.987
434	3	0.530
434	-	0.671
योग . .		<u>3.923</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“मानगढ़ सिंचाई तालाब योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण हेतु.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 28 जून 2019

क्र. 3552-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि का रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया गया है, इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—आमानाला, प.ह.नं.-32,
रा.नि.म.-धनौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 0.24 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5/1	0.03
5/2	0.02
358	0.01
329/3	0.02
339/4	0.02
343/2	0.05
311	0.03
348/1	0.03
304/1	0.03
योग . .	<u>0.24</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अपर तिलवारा नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 28 जून 2019

क्र. D-3954-दो-2-102-2017.—श्री हृदेश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 08 से 13 जुलाई 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 07 जुलाई 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3956-दो-2-41-2017.—श्री आर. बी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 26 मई से 08 जून 2019 तक, चौदह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3958-दो-2-14-2014.—श्री अमरनाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 20 से 25 मई 2019 तक, छह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. दिनांक 07 से 14 जून 2019 तक, आठ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 15 से 18 जून 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमरनाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमरनाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3962-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 19 से 22 जून 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3964-दो-2-34-2018.—सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 01 से 03 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.